निदेशक मंडल

डॉ. वी. एस. हेगड़े
डॉ. वी. के. डढवाल
श्री ए. विजय आनंद
श्री पी. जे. मैथ्यू
श्री वी. कोटेश्वर राव
श्री जॉन पी. जकारिया (30.06.2014 तक)
श्री ई. वसंता
श्री एस. परमेश्वरन (11.07.2014 तक)
श्री अरुण बालकृष्णन
श्री वाई. एस. मैय्या
श्री देवांग वी. कक्कड़
प्रो. जे. रामचंद्रन (01.06.2014 तक)

प्रबन्धन दल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	डॉ. वी. एस. हेगड़े
कार्यकारी निदेशक एवं निदेशक (व्यापार विकास)	श्री एस.परमेश्वरन (11.07.2014 तक)
निदेशक (विशेष परियोजनाएँ)	श्रीमती गीता वरदन
निदेशक (तकनीकी व सेवाएँ)	श्रीमती टी.एस.शोभा
निदेशक (प्रमोचन सेवाएं एवं मिशन):	श्री डी.राधाकृष्णन (26.11.2013 से)
निदेशक (सुदूर संवेदन आँकड़ा व सेवाएँ)	श्री वी. रघु वेंकटरामन (19.02.2014 से)
निदेशक (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)	डॉ. बी.के. रंगनाथ (05.08.2014 से)
वरिष्ठ प्रधान लेखा एवं आं.वि.स.	श्री जी. अलगेसन

संवैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ज्ञानोबा व भट्ट
चार्टरित लेखाकार
1 प्लोर, अण्णामलै आर्केड
नं. 45, 1 क्रॉस, विल्सन गार्डन
होसुर मेन रोड
बेंगलूर 560 027

बैंकर

केनरा बैंक
आर.एम.वी.एक्स्टेंशन शाखा
बेंगलूर 560 080

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूर 560 054

पंजीकृत कार्यालय

अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूर 560 231

विषय सूची

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	1
आरक्षण	4
राजभाषा कार्यान्वयन	4
अनुपालन प्रमाण -पत्र	9
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	12
लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध	14
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	16
तुलन पत्र	17
लाभ तथा हानि लेखा	18
तुलन पत्र के भाग के नोट	19
लाभ एवं हानि लेखा के भाग के नोट	25
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	28
लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट	30
नकद प्रवाह विवरण	38

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणी सहित बाइसवें वार्षिक रिपोर्ट को निदेशक मण्डल को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

वर्ष के दौरान, कई चुनौतियों तथा प्रतिबंधों के बावजूद कम्पनी का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। कम्पनी की आय बढ़कर ₹1608.72 करोड़ रुपये हो गई है जो गत वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि दर्शाता है। इस वर्ष कर के पश्चात् लाभ ₹200.50 करोड़ रहा। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग/ कार्पोरेट फ्रन्ट के रूप में आपकी कम्पनी ने अंतरिक्ष तकनीक को जनकल्याण हेतु प्रयुक्त किया है तथा राष्ट्र को सम्पन्न एवं विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी कम्पनी के क्रियाकलाप मानव जीवन को सम्पर्क एवं सूचना के क्षेत्र में समृद्ध बनाने के लिए केन्द्रित रहे हैं। आने वाले वर्षों में भी आपकी कम्पनी अपने निष्पादन को बरकरार रखने के लिए आश्वस्त है।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों के भू-प्रेक्षण आँकड़ों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह समूह से प्राप्त आँकड़े तथा डाउनलिंक सेवाओं का कुशलतापूर्वक विपणन कर रही है।

रिसोर्ससैट-1 एवं 2, कार्टोसैट-1 एवं 2 और ओशनसैट-2 उपग्रह के प्रयोग से आपकी कम्पनी ने पूर्ववर्ती सेवाओं के वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) में रडार प्रतिबिम्बन उपग्रह (रिसैट-1) आँकड़ा प्राप्ति सेवाओं को जोड़ा है। मेसर्स कॉग्सबर्ग उपग्रह सेवाएँ ए.एस. (केसैट) के साथ भू-स्टेशन की स्थापना का समझौता किया गया है ताकि रिसैट-1 के आँकड़ों को सीधा प्राप्त किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के साथ विपणन किया जा सके। इन प्रणालियों की फैक्टरी के अनुरूप स्वीकृति एवं इनके नौवहन संबंधित क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

आपकी कम्पनी ने न्यूस्ट्रेलिज, जर्मनी में स्थित मेसर्स जी.ए.एफ. ए.जी. (पूर्ववर्ती मेसर्स यूरोमैप जी.एम.बी.एच. के नाम से जाने जानेवाली कम्पनी) के भू-स्टेशन को रिसोर्ससैट-2 आँकड़े प्राप्त करने के लिए उन्नत किया है तथा इनका डाउनलिंक भी आरंभ किया जा चुका है।

आई.आर.एस. उपग्रह समूह से आँकड़े-प्राप्ति की माँग लगातार बढ़ रही है और नये अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन की स्थापना के अनुरोध पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही, विदेशी उपग्रह समूह से प्राप्त होने वाले अति उच्च विभेदन आँकड़े की सीधी प्राप्ति के प्रस्तावों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है।

प्रमोचन सेवाएं

आपकी कम्पनी इसरो के प्रमाणित यान पी.एस.एल.वी. का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन करती रही है। इनमें प्रमुख हैं: यू. के. की डी.एम.सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबिम्बन (डी.एम.सी.आई.आई.) जो सर्वे सैटेलाइट टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (एस.एस.टी.एल.), यू.के. की पूर्ण स्वामित्व वाली नियंत्रित कम्पनी है, जो तीन डी.एम.सी.-3 भू-प्रेक्षण उपग्रहों के साथ सिंगापुर विश्वविद्यालय के दो माइक्रो तथा तीन नैनो उपग्रहों का प्रमोचन करेगी। 30 जून, 2014 को ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक यान (पी.एस.एल.वी.)-सी23 के द्वारा 714 किलोग्राम भार वाले स्पॉट-7 उपग्रह एवं 5 पिग्गी बैक उपग्रहों का समर्पित मिशन के रूप में सफल प्रमोचन किया गया।

प्रमोचन सेवाओं की नई माँगों पर समुचित ध्यान दिया गया है। अब तक, पी.एस.एल.वी. के माध्यम से 19 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह के प्रमोचन के लिए करार तय किए गए हैं।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी ने दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश एवं अन्य संबंधित सेवाओं को विश्व के प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करना जारी रखा है।

फ्रांस की कम्पनी सी.एन.ई.एस. के साथ समझौते के हिस्से के रूप में आपकी कम्पनी ने इस्ट्रैक के लखनऊ भू-स्टेशन से प्रोबा-V उपग्रह के एल.ई.ओ.पी. दूरमिति प्रचालन को सहयोग प्रदान किया। प्रोबा-V मिशन का उद्देश्य विश्वव्यापी हरियाली वृद्धि का सिंहावलोकन प्रदान करना है। इसके अलावा, इस्ट्रैक के भू-स्टेशन के उपयोग से के-सैट मिशन को दूरमिति, अनुवर्तन एवं आदेश (टी.टी.सी.) सहायता प्रदान की गई है।

अन्तरण कक्षा सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) उपलब्ध कराने हेतु, इन्टेलसैट के साथ किए गए करार के अन्तर्गत आपकी कंपनी कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों की सहायता करने के लिए एम.सी.एफ., हासन में स्थित भू केन्द्र के के.ए. तथा के.यू. बैण्ड के उपयोग का सहारा ले रही है।

आपकी कम्पनी एमसीएफ एवं इस्ट्रैक में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों एवं अन्तरिक्ष एजेन्सियों के लिए टीटीसी तथा अन्य सहयोगी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित है।

दूरसंचार प्रेषानुकर सेवाएं

उपग्रह प्रेषानुकर क्षमता की अनुप्रवाह सेवाओं की माँग जारी है। इन सेवाओं में ध्वनि, वीडियो प्रवाह, आँकड़े, मशीन-से-मशीन (एम.2एम.)

और सरकारी/सामरिक सेवाएँ जैसे विभिन्न अनुप्रयोग शामिल हैं। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने इस खंड में व्यापार के विस्तार के लिए अपना योगदान जारी रखा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व-विस्तार 9 % रहा है। डी.टी.एच. सेवाओं के बाजार में निरंतर वृद्धि, वीसैट प्रचालन एवं उपग्रह क्षमता के सामरिक उपयोग में वृद्धि, इस वृद्धि के कारण रहे हैं।

जनवरी, 2014 के दौरान जीसैट-14 (6 विस्तार सी बैण्ड + 6 के.यू. बैण्ड प्रेषानुकर) के प्रमोचन के कारण स्वदेशी अंतर्कक्षीय क्षमता का विस्तार हुआ है। जी.एस.एल.वी. द्वारा जीसैट-14 के 74 डिग्री पूर्व (74 डी.ई.) में सफलतापूर्वक स्थापना के कारण भविष्य में भूस्थिर उपग्रहों के स्वदेशी प्रचालन का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इन्सैट-3ई अंतरिक्षयान की प्रचालन समय-सीमा लगभग समाप्त हो रही है। संभावित उपाय के रूप में इन्सैट-3ई उपग्रह के अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए इन्सैट/जीसैट उपग्रह की सेवा की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस कारण, कम्पनी के राजस्व में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 तक इन्सैट/जीसैट उपग्रहों के बेड़े पर सभी करारों का विस्तार किया है। साथ ही, कम्पनी ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सी एवं के.यू. उपग्रह बैण्ड विस्तार की पंजीबद्ध माँग को पूरा करने के लिए प्रेषानुकर क्षमता के आंकड़े के आधार का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया है।

टी वी चैनलों की बढ़ती जरुरतों के अनुरुप, जिनमें एच.डी.टी.वी., एच.आई.टी.एस., आई.टी.वी., आई.पी.टी.वी. इत्यादि जिनका व्यापार जगत् में काफी प्रभाव है, आपकी कम्पनी के लिए इस व्यापार क्षेत्र में निरंतर अभिवृद्धि की अपार संभावनाएँ दिखती हैं।

दौरों का विनिमय

वर्ष के दौरान विश्व-भर की कई अंतरिक्ष एजेन्सियों के साथ पारस्परिक दौरे किए गए हैं। इनसे वर्तमान संबंधों को मजबूत बनाने और परस्पर लाभ के लिए नए संबंध कायम करने में भी मदद मिली है। आपकी कंपनी आगामी वर्षों में अपने व्यापार संबंधी अवसरों को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित है।

लाभांश

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), के दिनांक 17.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/1(16)-ई II (ए), दिनांक 20.08.1998 के का.ज्ञा.सं.एफ.19(I)-ई-II (ए)/98 तथा दिनांक 13.06.2001 के सं.एफ.3(2)-बी (एस)/2001 और दिनांक 9.9.2002 के अ.शा.प. सं.3(67)-बी(एस)/2002 और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.06.2004 के अ.शा.पत्र सं.3(2)बी/एस/2003 और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक मई 19, 2005 के अ.शा.पत्र सं.3(3)-बी (एस)/2005 द्वारा जारी किये गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपका

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)
कुल आय	1,60,872.22	1,29,528.21
कुल व्यय	1,31,104.36	1,04,015.74
मूल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**29,767.86**	**25,512.47**
असामान्य मद	3.62	
घटाइए: मूल्य ह्रास व परिशोधन व्यय	(134.23)	(117.84)
घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान	(9801.12)	(7725.05)
जोडिए: आस्थगित कर	213.75	37.41
पहले के वर्षों में आयकर हेतु अधिक/कम प्रावधान	-	-
वर्तमान वर्ष का अधिशेष	**20,049.88**	**17,706.99**
जोड़िए: पिछले वर्ष का अधिशेष	6.59	3.57
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**20,056.47**	**17,710.56**
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	15,000.00	13,560.00
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में स्थानांतरित	325.00	-
प्रस्तावित लाभांश	4010.00	3542.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर	681.50	601.97
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	39.97	6.59
पुनर्विनियोजन का कुल	**20,056.47**	**17,710.56**

निदेशक मण्डल ₹100 लाख रुपये की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी पर 4010 % (पिछले वर्ष 3542 %) के लाभांश की सिफारिश करता है। यह 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ के 20% को दर्शाता है।

आगामी दृष्टिकोण

हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है और आनेवाले वर्षों में इसमें सुधार की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान वृद्धि-दर 6% प्राक्कलित की गई है।

इस सकारात्मक दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में आपकी कम्पनी भी बढ़ोत्तरी की संभावनाएँ तलाश रही है। आपकी कम्पनी भी व्यापार-विभाग के विस्तार के लिए उत्सुक है और इस बाबत विस्तार एवं विविधता की विभिन्न संभावना की उपलब्धता को तलाश रही है। ऐसी आशा की जाती है कि ये उपाय कम्पनी को प्रगति-पथ पर बढ़ने के लिए मजबूती के साथ नेतृत्व एवं ठोस उपाय प्रदान करेंगे ताकि भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकें।

निदेशकगण

अपने त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप प्रो. जे. रामचन्द्रन 01 जून, 2014 से निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए। श्री जॉन पी. जकारिया भी सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 30 जून, 2014 से पदमुक्त हो गए। श्री एस. परमेश्वरन अपने मूल संगठन में वापस चले जाने तथा तदोपरांत मुख्य नियंत्रण सुविधा के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के कारण कार्यकारी निदेशक के पद से मुक्त हो गए। बोर्ड, प्रो. जे. रामचन्द्रन, श्री जॉन पी. जकारिया एवं श्री एस. परमेश्वरन के निदेशक के रुप में अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सैन फ्रांसिस्को, यू.एस.ए. के टेक म्यूजियम द्वारा आपकी कंपनी को सुजल वॉटर शेड कार्यक्रम के जरिए मानव-कल्याण हेतु प्रौद्योगिकी के मौलिक उपयोग के कारण "टेक पुरस्कार" प्रदान किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217 (2 ए ए) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

i) 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv) निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट शासन समिति का गठन किया है जो कम्पनी के कॉर्पोरेट शासन प्रचलन को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करेगी। आपकी कम्पनी भारत सरकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन व्यवहार का अनुपालन करती रही है।

पिछले वर्ष सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आपकी कम्पनी को "बहुत अच्छा" दर्जा के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹50 लाख का योगदान दिया है जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में बादल फटने तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान की गई है।

उसी वर्ष कम्पनी ने सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए बोर्ड स्तर की समिति का गठन किया। वर्तमान वर्ष में उन क्रियाकलापों के लिए कुल ₹ 3.25 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

लेखा परीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक ने दिनांक 29 जुलाई, 2013 के पत्र सं. सीए.5/सीओवाई/केंद्र सरकार,एंट्रिक्स(1)/21 के माध्यम से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखे की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट, चार्टरित लेखाकार, बेंगलूर को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। उनकी दिनांक 23 जून, 2014 की रिपोर्ट संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के दिनांक 13 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 241 पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/वार्षिक लेखा/सी.एस./एंट्रिक्स/14-15/341 में भारत के नियंत्रक एवं महा

लेखापरीक्षक की टिप्पणी संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने दिनांक 30 जुलाई, 2014 के पत्र सं. सीए.वी/ सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एंट्रिक्स(1)/115 के माध्यम से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मेसर्स बी. वी. राव एवं कं. चार्टरित लेखाकार, बेंगलूर को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र

श्री वी.पद्मनाभन, कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383(ए) के प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सावधिक जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति दो थी। समूह 'क' (तकनीकी), समूह क (प्रशासनिक) तथा समूह ग (प्रशासनिक) में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 1,2 तथा 3 थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियन 1956 की धारा 217(1) (ई) के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग क्रियान्वित करती रही है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ.एल.आई.सी.) की, वर्ष की नीति निर्धारण के लिए बैठक हुई। वर्ष के दौरान, सक्षम प्राधिकारियों ने कंपनी में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया। कंपनी ने दो कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा अर्जन	**राशि लाख में (₹)**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
क) निर्यात के बाबत	748.31	यूएसडी	12,55,122.45
ख) अन्य सेवाओं के बाबत	1,561.66	यूएसडी	25,64,125.13
ग) तकनीकी परामर्श के बाबत	15,160.69	यूएसडी	17,58,523.20
		यूरो	1,75,97,993.00
कुल	**17,470.66**		
विदेशी मुद्रा निर्गम	**राशि लाख में (₹)**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
क) यात्रा के बाबत	24.53	यूएसडी	16,206.00
		यूरो	17,565.00
ख) आयात लागत के बाबत	257.05	यूएसडी	4,36,652.30
ग) तकनीकी परामर्शिता लागत के बाबत	51,553.77	यूएसडी	8,49,12,106.88
घ) अन्य सेवा लागत के बाबत	948.17	यूएसडी	15,14,415.76
		यूरो	1,972.71
कुल	**52,783.52**		

आभारोक्ति

आपके निदेशक, अपने उत्पाद एवं सेवाओं के लिए ग्राहक तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशक, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों और आपकी कम्पनी के अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा की गई सहायता एवं योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनसे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

निदेशक मंडल के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित
(वी. एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलूर
तिथि: 22.08.2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकों के रिपोर्ट का परिशिष्ट

संवैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1. अपनी संप्रभु क्षमता में ठेका रद्द करने के केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के पश्चात् मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य महासंघ, पेरिस (आई सी सी) के समक्ष 1.60 बिलियन अमेरिकी डालर (₹ 7004.80 करोड़) की राशि के लिए किए गए दावे के लेखा नोट की आकस्मिक देयता को प्रकट नहीं किया जाना। 2. मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार नियत तिथि तक पूर्णरूपेण चालित उपग्रह से पट्टे पर दी जाने वाली क्षमता का समय से मुहैया नहीं कराने हेतु अब तक के तुलन-पत्र में चुकता किए जाने वाले नुकसान के विलंबित सुपुर्दगी शास्ति के तौर पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 21.89 करोड़) की देयता के रूप में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन के विचार में, फिलहाल किसी भी प्रावधान की जरूरत नहीं है एवं मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मुद्दा न्यायाधीन है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।	कंपनी करार के अनुसार मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड को मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गई थी। कंपनी ने देवास द्वारा आई.सी.सी. की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु निवेदन करते हुए अतिरिक्त नगर सिविल जज, बेंगलूर के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन और मुकदमा भी दायर किया था। हालाँकि कंपनी द्वारा दायर की गई मध्यस्थता याचिका खारिज कर दी गई परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने द्वारा जारी किए गए दिनांक 10 मई, 2013 के आदेश में इसका उल्लेख किया कि कंपनी भारतीय मध्यस्थता एवं समझौता कानून, 1996 के अनुरूप समुचित समाधान के लिए किसी अन्य प्रावधान का आलंबन लेने से वंचित नहीं होगी। इसके बाद दायर की गई पुनर्विचार याचिका पुन: खारिज कर दी गई। एन्ट्रिक्स ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर के न्यायालय में अपनी दलील पूरी कर ली है (मध्यस्थता एवं समझौता कानून, 1996 की धारा-9 के अन्तर्गत)। आज की तारीख तक मामला दिनांक 18 अक्तूबर, 2014 को होनेवाली सुनवाई के लिए लंबित है। आई.सी.सी. की कार्यवाही में, देवास ने प्रारंभ में समझौते को आई.सी.सी. में ही विशेष रूप से निपटाने या उसके एवज में क्षति की भरपाई पाने की इच्छा जाहिर की। तदन्तर, देवास ने करार के विशेष निष्पादन पर जोर न देते हुए अपने दावे को क्षति पूर्ति तक सीमित रखते हुए संशोधित किया है। इस बाबत 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी ₹ 7004.80 करोड़) के नुकसान की भरपाई की माँग की गई। करार के तहत लेखा के अन्य नोट में आकस्मिक देयता के अन्तर्गत ₹ 21.89 करोड़ (5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को परिसमाप्ति नुकसान के रूप में दर्शाया गया है। एन्ट्रिक्स, आई.सी.सी. की कार्यवाही में आई.सी.सी. के निर्णय का विरोध कर रहा है। करार के तहत, एन्ट्रिक्स पर समाप्त करने हेतु देयता की सीमा निर्धारित की गई है जो अपफ्रंट क्षमता आरक्षण शुल्क की वापसी तक सीमित है। इन कारणों से परिणाम की संभावना क्षीण है। इसलिए, लेखा में दावे को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। मध्यस्थता समझौते के निर्णय के अंतिम स्वरूप प्राप्त होने के बाद ही स्वीकृति वर्ष के लेखा में इस बाबत कोई उचित लेखाविधि संबंधी निरूपण किया जाएगा।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
(अ) तुलन-पत्र **1. रिजर्व एवं अधिशेष (नोट सं. बी)** **(ख) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व ₹ 325 लाख** **अन्य नोट जो लेखा का हिस्सा है (नोट पी- अनुच्छेद 21)** वर्ष 2013-14 के लेखा में कंपनी द्वारा ₹ 325 लाख की उपर्युक्त आबंटित धन राशि विगत 3 वर्षो में देय कर के बाद औसत लाभ का 2% थी जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लागू डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार, 'रिजर्व' पिछले वर्ष में देय कर के बाद बाकी लाभ का 2 या 3% होना चाहिए। इसप्रकार, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व के लिए बनाया गया प्रावधान न्यूनविवरित रह गया और उक्त वर्ष के लिए लाभ ₹ 0.29 करोड़ द्वारा अतिविवरित हो गया। आगे, वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व की मद में आबंटित ₹ 9.96 करोड़ की धन राशि मुहैया न कराये जाने के संदर्भ में आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। हालाँकि, इस संदर्भ में कंपनी ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक भी डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन रिजर्व की मद में ₹ 9.96 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है जिस कारण रिजर्व एवं अधिशेष की मद में ₹ 9.96 करोड़ अतिविवरित हो गए। इसके परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन रिजर्व ₹ 10.25 करोड़ (₹ 9.96 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) की राशि द्वारा न्यूनविवरित हो गया।	सी.पी.एस.ई. के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीनता पर अप्रैल, 2013 से प्रभावी डी.पी.ई. दिशानिर्देश के अनुच्छेद 1.4.17 के अनुसार, सी.एस.आर. एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप का चयन, जगह की स्थिति और बजट एवं अन्य आबंटन को क्रियान्वित करने का निर्णय सी.पी.एस.ई. के निदेशक मंडल पर निर्भर है। तदनुसार, बोर्ड ने वर्ष 2012-13 को जारी वार्षिक रिपोर्ट में सी.ए.जी. को दिए गए आश्वासन एवं सी.एस.आर. दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की सी.एस.आर. समिति का गठन किया और कंपनी की सी.एस.आर. नीति का निर्माण किया एवं कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दिए गए अनुसार संभाव्य रूप से विगत 3 वर्षों में देय कर के बाद औसत लाभ से 2% की दर से प्राप्त राशि से सी.एस.आर. एवं दीर्घकालीन रिजर्व का निर्माण किया, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
(ब) लाभ और हानि लेखा **अन्य आय (नोट सं. 2)** **पूर्वावधि मद-₹ 1820.02 लाख** लेखा विधि मानक-5 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, पूर्वावधि मद की राशि एवं प्रकृति को लाभ और हानि लेखा में अलग से दर्शाने का प्रावधान है वो भी इस तरह कि वर्तमान लाभ और हानि लेखा में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके। कंपनी ने पूर्वावधि मद की ₹ 18.20 करोड़ की राशि को 'अन्य आय' के शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया है जो लेखा विधि मानक-5 की आवश्यकता का उल्लंघन है।	लाभ एवं हानि लेखा के निर्माण में संशोधित अनुसूची VI के तहत सामान्य अनुदेश की धारा 5 (1) के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा में पूर्वावधि मद से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है परंतु इसे टिप्पणी के रूप में दर्शाया जा सकता है। यद्यपि, लेखा विधि मानक-ए.एस.5 के अनुच्छेद 19 के अनुसार, "पूर्वावधि मद" को सामान्यतया चालू वर्ष के निवल लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है, कंपनी ने ₹ 18.20 करोड़ की पूर्वावधि मद की राशि को नोट-2 (एफ)-अन्य आय के अन्तर्गत दिखलाया है जो लाभ एवं हानि लेखा का अभिन्न अंग है। वित्त वर्ष 2011-12 से प्रभावी संशोधित अनुसूची-VI के लागू होने के बाद से कंपनी द्वारा ऐसी प्रस्तुतीकरण पर लगातार अमल किया जा रहा है।

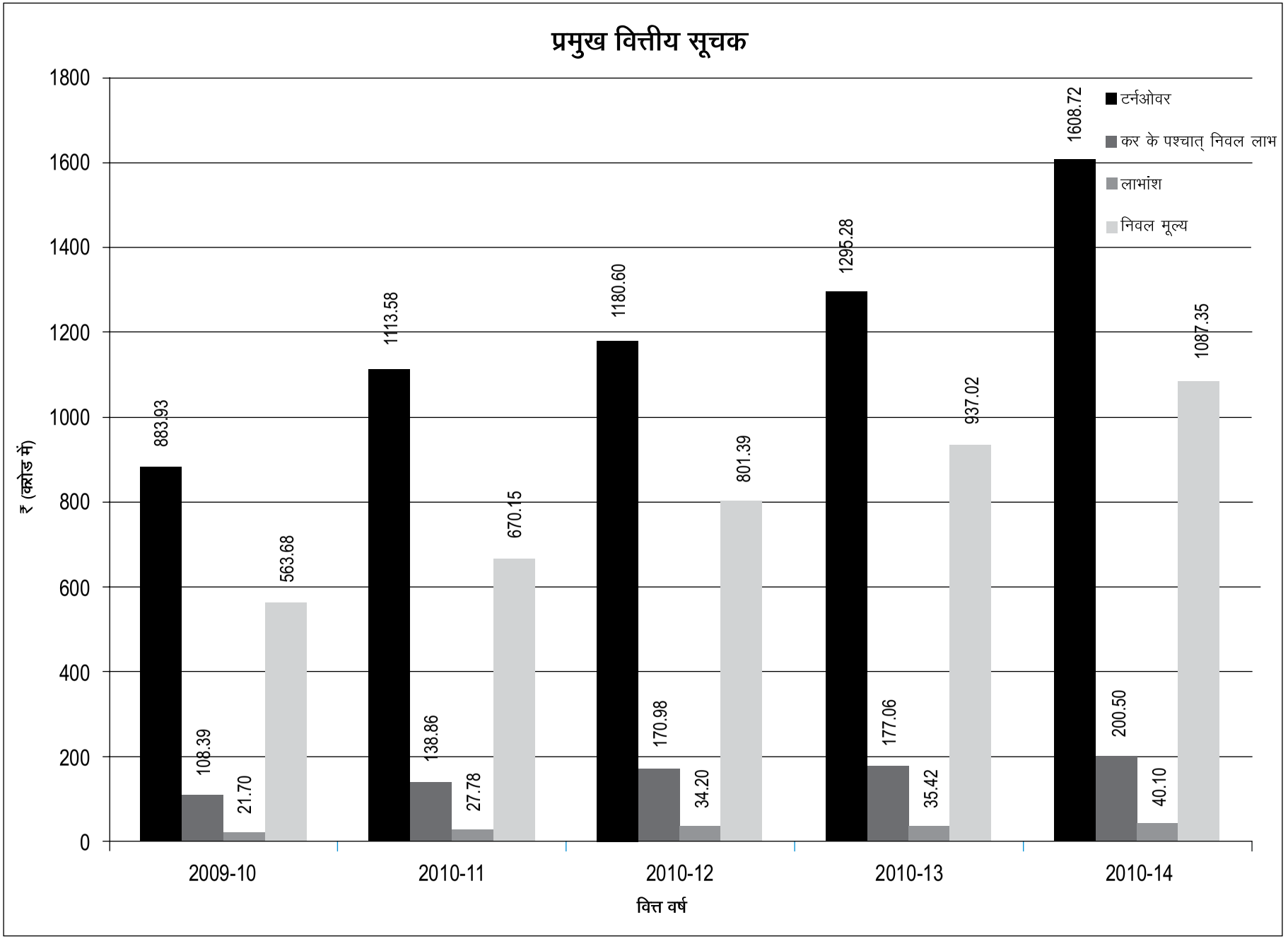
प्रमुख वित्तीय सूचक
₹ (करोड में)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
883.93
108.39
21.70
563.68
1113.58
138.86
27.78
670.15
1180.60
170.98
34.20
801.39
1295.28
177.06
35.42
937.02
1608.72
200.50
40.10
1087.35
2009-10
2010-11
2010-12
2010-13
2010-14
वित्त वर्ष
टर्नओवर
कर के पश्चात् निवल लाभ
लाभांश
निवल मूल्य

अनुपालन प्रमाण-पत्र

पंजीकरण सं.: U85110KA1992GOI013570
प्राधिकृत पूँजी : ₹ 5 करोड़
प्रदत्त पूँजी : ₹ 1 करोड़

सेवा में,
सदस्य
एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड के पास
बेंगलूर-560231

मैंने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित रजिस्टर, रिकार्ड, बही-खाते और कागजात तथा उसके तहत बनाये गये नियम और कम्पनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियम में निहित प्रावधानों की जाँच की है। मेरी राय और जानकारी में और मेरे द्वारा की गई जाँच के अनुसार और कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेंटों द्वारा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त वित्त वर्ष के संबंध में :

1. कम्पनी द्वारा इस प्रमाण-पत्र के अनुबंध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टर अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार रखे गये हैं और सभी प्रविष्टियाँ उनमें विधिवत् रिकार्ड की गई हैं।

2. कम्पनी ने, इस प्रमाण-पत्र के अनुबंध 'ख' में उल्लिखित फार्म एवं रिटर्न (रिपोर्ट) को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित समय के भीतर विधिवत् जमा करा दिए हैं।

3. यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। इसके पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूँजी है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या दो थी और जाँचाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने
   i) अपने शेयर अथवा डिबेंचर खरीदने हेतु लोगों को आमंत्रित नहीं किया है; और
   ii) न ही कोई जमा आमंत्रित अथवा स्वीकार की है।

4. निदेशक मण्डल की 26 जून, 2013, 30 अगस्त, 2013, 19 दिसंबर, 2013 और 10 मार्च, 2014 को विधिवत् चार बैठकें आयोजित की गई और इन बैठकों के संबंध में अपेक्षित सूचनाएँ दी गई थीं तथा पारित परिपत्रीय संकल्प समेत कार्यवाही सही ढंग से रिकार्ड की गई और इस उद्देश्य हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तिका में हस्ताक्षर किए गए।

5. कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान अपने सदस्यों अथवा डिबेंचरों की रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था।

6. 31.3.2013 को समाप्त वित्त वर्ष की महासभा की बैठक कम्पनी के सदस्यों को विधिवत् सूचित करते हुए 26 सितंबर, 2013 को हुई और बैठक में पारित किए गए संकल्पों को इस हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तिका में विधिवत् दर्ज किया गया।

7. वित्त वर्ष में कोई असाधारण महासभा नहीं बुलाई गई।

8. कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के नाते, उस पर दि.16.7.1985 की सरकारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.581 (स्था.) के द्वारा अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती ।

9. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 में विनिर्दिष्ट संविदाओं के संदर्भ में, उक्त धारा के अंतर्गत आने वाली किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

10. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में कम्पनी को कोई प्रविष्टि कराना अपेक्षित नहीं था।

11. चूँकि अधिनियम की धारा 314 की परिधि में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, इस कारण कम्पनी को बोर्ड के निदेशक मण्डल, सदस्यगण अथवा केन्द्र सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं करनी पड़ी।

12. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान शेयर प्रमाण-पत्र की कोई दूसरी प्रतिलिपि जारी नहीं की है।

13. कम्पनी ने:
   i) वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति आबंटित/हस्तांतरित नहीं की है।
   ii) घोषित लाभांश की राशि, इस उद्देश्य हेतु खोले गये एक अलग बैंक खाते में जमा करा दी है और यह लाभांश की राशि ऐसे लाभांश के घोषित होने के दिनांक से पाँच दिनों के अंदर जमा कराई है।
   iii) घोषणा के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अंदर सभी सदस्यों को लाभांश का भुगतान कर दिया है।
   iv) कम्पनी को अप्रदत्त लाभांश खाते में, वापस देने योग्य आवेदन राशि, देय जमा, देय डिबेंचर और उस पर प्राप्त ब्याज जिनका कि अभी तक दावा नहीं किया गया, या जिनका निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को सात वर्ष की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया हो, के आवेदनों के लिये कोई धन राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी कोई राशि कम्पनी के पास नहीं है।

v) अधिनियम की धारा 217 के अपेक्षित प्रावधानों का विधिवत् अनुपालन किया है ।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है और आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु निदेशकों, अपर निदेशकों, वैकल्पिक निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्तियां विधिवत की गई हैं।

15. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक अथवा व्यवस्थापक की नियुक्ति नहीं की है।

16. वित्त वर्ष में कम्पनी ने कोई एकल-विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है।

17. कम्पनी ने अतिरिक्त आँकड़ों के प्रकाशन के संबंध में अधिनियम के भाग II, अनुसूची VI के प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

18. अधिनियम तथा उनके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशकों ने अन्य फर्मों/कम्पनियों में अपनी अभिरुचि निदेशक मण्डल के सामने प्रकट की है।

19. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई भी शेयर/डिबेन्चर/अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं।

20. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदे हैं ।

21. वित्त वर्ष में किसी भी अधिमानी शेयर अथवा डिबेन्चर के प्रति क्षतिपूर्ति नहीं की गई।

22. ऐसे कोई लेन-देन नहीं हुए कि कम्पनी को लाभांश के अधिकार, शेयर के अधिकार को स्थगित रखने तथा बोनस शेयरों के शेयर हस्तांतरण के पंजीकरण लंबित रखने की कोई आवश्यकता पड़ी हो।

23. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के प्रावधानों के अधीन आने वाले किसी भी असुरक्षित ऋण सहित किसी भी प्रकार की जमा न तो आमंत्रित की है और न ही स्वीकार की है।

24. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा कोई राशि उधार नहीं ली गई है।

25. कम्पनी ने किन्हीं अन्य कॉर्पोरेट निकायों से किसी भी प्रकार का ऋण एवं निवेश अथवा अग्रिम नहीं लिया है और न ही कोई गारंटी या कोई प्रतिभूति दी है। परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु रखे रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

26. संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे में अवस्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है।

27. संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के लक्ष्य के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है।

28. संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है।

29. संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी की शेयर पूँजी के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है।

30. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी संस्था के अंतर्नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. वर्ष के दौरान कम्पनी को ₹ 41.85 लाख के सेवा कर एवं ₹ 1.64 करोड़ की शास्ति के भुगतान की मांग करते हुए कंपनी को कारण बताओ सूचना भेजी गयी है, जिसका कम्पनी ने प्रतिरोध किया है। कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया और वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर न तो कोई जुर्माना एवं शास्ति ही लगाया गया है और न ही कोई अन्य सजा सुनायी गई है।

32. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की है।

33. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक: 17 जून, 2014 **वी.पद्मनाभन**

स्थान : बेंगलूर सी.पी.सं.6283

अनुबंध क

संवैधानिक पंजियाँ

1. धारा 150 के तहत सदस्यों की पंजी
2. धारा 193 के तहत मण्डल के बैठक की कार्यवृत पुस्तिका
3. धारा 193 के तहत महासभा की कार्यवृत्त पुस्तिका
4. धारा 303 के तहत निदेशकों की पंजी
5. धारा 372ए के तहत निवेश की पंजी
6. धारा 301 के तहत संविदाओं की पंजी

अन्य पंजियाँ

1. निदेशकों की उपस्थिति पंजी
2. स्थानांतरणों की पंजी

अनुबंध ख

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी-रजिस्ट्रार, कर्नाटक के पास कम्पनी द्वारा दर्ज किये गये फॉर्म और रिटर्न

क्र. सं.	दर्ज दस्तावेज	धारा के तहत	घटना का उद्देश्य तथा दिनांक	दर्ज करने का दिनांक	पावती सं.	क्या समय पर दर्ज किए गए
1	फॉर्म 32	303	निदेशकों के बीच परिवर्तन	16.05.13	बी75066043	जी हाँ
2	फॉर्म 32	303	निदेशकों के बीच परिवर्तन	07.06.13	बी76639384	जी हाँ
3	फॉर्म 23एसी	220	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे	22.10.13	क्यू15447923	जी नहीं
4	फॉर्म 66	383ए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाण-पत्र	03.10.13	क्यू12117289	जी हाँ
5	फॉर्म 20बी	159	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न	06.11.13	क्यू22352181	जी हाँ

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

हमने **मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड** "कंपनी" की 31 मार्च, 2014 के संलग्न वित्तीय विवरण जिनमें तुलनपत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह की सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध डिजाइन, क्रियान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है, जो कि एक सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और ये धोखा अथवा त्रुटि के कारण होने वाले तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं इसके लिए विवेकपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें।

किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। धोखा अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक रूप से गलत विवरणों के जोखिम के आकलन सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं। वैसे जोखिमों के आकलन करने में लेखा परीक्षक उन परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं का डिजाइन करने हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी और अच्छी प्रस्तुति हेतु महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है न कि इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर राय देने के उद्देश्य से। किसी लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखा संबंधी आकलनों की विवेकशीलता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य लेखा परीक्षा विचार हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

1. आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :

   क) अपनी संप्रभु क्षमता में केंद्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार ठेके के रद्द किए जाने के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य महासंघ, पेरिस (आई.सी.सी.) के समक्ष मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा किए गए दावे के संबंध में 1.60 बिलियन अमेरिकी डालर (₹ 7004.80 करोड़) की राशि के बारे में लेखा संबंधी नोट में आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं करना।

   ख) नोट सं. 8 एवं 9 - ₹ 373.21 करोड़ के विवादास्पद के-वैट और सी एस टी के संबंध में है।

   ग) नोट सं. 10 - ₹ 1.06 करोड़ के विवादास्पद सेवाकर के संबंध में है।

   घ) नोट सं. 22 -ग्राहकों से शेष की पुष्टि की अनुपलब्धता के संबंध में है।

   ङ) नोट सं. 23 - वर्ष के अंत में अं.वि./इसरो के खातों में बचे हुए शेष के संबंध में है जिसकी अभी अं.वि. द्वारा पुष्टि की जानी है।

   च) नोट-पी-क्रम सं.4- भंडारण एवं अतिरिक्त पुर्जे के इस्तेमाल के विवरण, सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मान, वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय, कच्ची सामग्री के आयात का मान, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव के इस्तेमाल, लाभांश के मद में विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि एवं विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में आमदनी जिनके खुलासे से मुक्त होने के लिए कम्पनी ने आवेदन किए, के गैर खुलासे के संबंध में जिनकी स्वीकृति भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले संबंधी मंत्रालय से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. **मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ तय किए गए ठेके के अनुसार नियत तारीख के अंदर पूर्ण प्रचालनीय उपग्रह को पट्टे पर देने की क्षमता में असफलता होने पर तुलन पत्र की तारीख में विलंबित सुपुर्दगी जुर्माना के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 21.89 करोड़) की निर्धारित क्षति के लिए उत्तरदायी**

होने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन की राय में वर्तमान में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामला न्यायाधीन है तथा इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

विचार

हमारे विचार में, हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर तथा हमारे इन विषयों के आधार पर:

I. अनुबंध में किए गए प्रेक्षण का संदर्भ नीचे अनुच्छेद - 1 में दिया गया है;

II. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में वर्णन के अनुसार परिनिर्धारित क्षति के बाबत ₹21.89 करोड़ की सीमा तक लाभ एवं रिजर्व को वास्तविकता से ज्यादा और देयताओं को वास्तविकता से कम बताया गया है;

III. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 की टिप्पणियों, लाभ, रिजर्व, परिसंपत्तियों और देयताओं पर उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित तरीके से सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही तथा सच्ची स्थिति दर्शाते हैं:

(क) 31 मार्च, 2014 को कंपनी की स्थिति के बारे में तुलन पत्र के मामले में

(ख) लाभ और हानि लेखा के मामले में वर्ष की समाप्ति पर उसी तिथि को लाभ

(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में वर्ष की समाप्ति पर उसी तिथि को नकद प्रवाह

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अपने आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में निर्दिष्ट बातों पर अनुबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थे,

(ख) हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा नियम की अपेक्षा के अनुसार लेखा पुस्तिकाएँ सही प्रकार से रखी गई हैं जैसा कि पुस्तिकाओं की जाँच से पता चलता है,

(ग) तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण के बारे में यह रिपोर्ट लेखा पुस्तिका से मेल खाती है,

(घ) हमारे विचार में, तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुसार हैं,

(ङ) 31 मार्च, 2014 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा दर्ज रिकार्ड के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) खंड (छ) के अनुसार निदेशकों में से किसी को भी निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु 31 मार्च, 2014 को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

कृते ज्ञानोबा व भट्ट
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000939एस

स्थान: बेंगलूर
तिथि: 23.06.2014

हस्ताक्षर
(के. आर. ज्ञानोबा)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 23137

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में वर्णित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध

i) स्थायी परिसंपत्तियों के मामले में

क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण को दर्शाने हेतु समुचित रूप में रिकार्ड रखा है।

ख) हमें दी गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा गठित समिति द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की गई है। हमारे विचार में जांच की आवृति संगत है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार जांच के दौरान कोई तात्विक विसंगतियां नहीं पाई गई।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी स्थायी परिसंपति के किसी बड़े भाग को नहीं हटाया और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

ii) कंपनी के पास कोई विस्तृत सूची नहीं है। अत: सूची के रिकार्ड की आवृत्ति, प्रक्रिया एवं अनुरक्षण से संबंधित खंड (ii) (क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं होते हैं।

iii) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से न ही सुरक्षित/असुरक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है। अत: इस खण्ड के अधीन आने वाले मामलों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

iv) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों के क्रय तथा माल की बिक्री और सेवाओं के संबंध में कम्पनी के स्वरूप तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली विद्यमान है। हमारे विचार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

v) हमें दी गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं हुआ है जिसकी प्रविष्टि धारा 301 के अंतर्गत रखी गई पंजी में की जानी अपेक्षित थी। इसलिए खंड (v) (ख) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) अभिलेखों के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

vii) हमारे विचार में, कम्पनी के पास कम्पनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

viii) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत का रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया है।

ix) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जहाँ कहीं भी लागू हो उक्त अवधि के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उप कर और अन्य सांविधिक बकाया सहित गैर-विवादित सांविधिक बकायों को सामान्यत: नियमित रूप में जमा कराया है और लेखा-परीक्षाधीन वाले वर्ष के दौरान भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, उपकर की ऐसी कोई देयता नहीं है, जिसे किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो। परन्तु, 01.04.2005 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के-वी.ए.टी एवं सी.एस.टी. के संबंध में जो ₹ 373.21 करोड़ की कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माँग की गई थी, वह विवाद के अधीन है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन लम्बित है। शास्ति सहित ₹ 1.06 करोड़ रुपये के सेवा कर के लिए बड़े कर भुगतान करने वाले यूनिट द्वारा उठाई गई माँग के संबंध में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर के समक्ष अपील की गई है, जिसे लेखा नोट सं. 10 के भाग निरूपित करते अन्य नोट में विस्तृत रूप से दिया गया है।

x) 31.03.2014 के अनुसार, कम्पनी में कोई संचयित हानि नहीं हुई और कम्पनी को हमारे लेखा-परीक्षाधीन वित्त वर्ष व पिछले वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xi) हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर किसी भी वित्तीय संस्था अथवा बैंक का कोई बकाया नहीं है।

xii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम मंजूर नहीं किया है और इसलिए आदेश का खंड (xii) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii) हमारे विचार से कम्पनी चिट फंड या एक निधि या एक पारस्परिक लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अत: कम्पनी पर आदेश के खंड (xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xiv) हमारे विचार में कम्पनी किसी भी तरह के शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर तथा अन्य निवेश के सौदे या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, खण्ड (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमारे द्वारा नकद प्रवाह विवरण और रिकार्डों की, की गई जांच तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समग्र रूप में इस अवधि के दौरान प्रथम दृष्टया अल्पावधि के लिए प्राप्त निधियों का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।

xviii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए पंजी में पार्टियों एवं कंपनियों को अधिमानत: किसी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और तदनुसार आदेश के खंड (xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नही किए हैं और इसीलिए आदेश का खंड (xix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xx) कंपनी ने रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से किसी धन का अर्जन नहीं किया है और इसीलिए आदेश का खंड (xx) लागू नहीं होता है।

xxi) हमारी जानकारी और विश्वास के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कोई बेईमानी नहीं देखी अथवा पायी गयी है।

कृते ज्ञानोबा व भट्ट
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000939एस

हस्ताक्षर
(के. आर. ज्ञानोबा)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 23137

स्थान: बेंगलूर
तिथि: 23-06-2014

दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि., बेंगलूर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संवैधानिक लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। उनके दिनांक 23 जून, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य संबंधी कागज़ात प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और प्राथमिक रूप से यह संवैधानिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और चयनित कुछ लेखाविधि रिकार्डों तक ही सीमित है।

हमारी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आई हैं और जो मेरी समझ में वित्तीय विवरण तथा इससे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।

(अ) तुलन पत्र

(क) रिजर्व एवं अधिशेष (नोट सं. ख)

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व ₹ 325 लाख

लेखे के भाग के रूप में अन्य टिप्पणियाँ (नोट पी-अनुच्छेद 21)

वर्ष 2013-14 के लिए लेखे में कम्पनी द्वारा ₹ 325 लाख का उपर्युक्त आबंटन किया गया है जो विगत 3 वर्षों में देय कर के बाद औसत आय का 2% था; जबकि वर्ष 2013-14 के लिए डी.पी.ई. दिशानिर्देशों में यह कहा गया है रिजर्व विगत वर्ष में देय कर के बाद लाभ का 2 या 3 % होगा। अतएव, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व के लिए किए गए प्रावधान न्यूनविवरित रहे और वर्ष के लिए लाभ ₹ 0.29 करोड़ अतिविवरित रहे।

वर्ष 2012-13 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट में कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व हेतु ₹ 9.96 करोड़ का आबंटन सुनिश्चित किया था जिसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। इस बाबत कम्पनी से टिप्पणी अपेक्षित है। हालाँकि कम्पनी ने डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए ₹ 9.96 करोड़ की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है जिसके कारण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व को न्यून विवरित तथा रिजर्व एवं अधिशेष को ₹ 9.96 करोड़ की राशि द्वारा अतिविवरित दर्शाया गया है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व का न्यून विवरण कुल ₹ 10.25 करोड़ (₹ 9.96 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) हो गया।

(ख) लाभ एवं हानि लेखा

अन्य आय (नोट सं. 2)

पूर्वावधि मद- ₹ 1820.02 लाख

लेखा विधि संबंधी मानक-5 के अनुच्छेद-15 के अनुसार, पूर्वावधि मद की राशि एवं प्रकृति को लाभ-हानि लेखा में अलग से इस प्रकार वर्णित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान लाभ या हानि पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके। कम्पनी ने ₹ 18.20 करोड़ की राशि पूर्वावधि मदों में 'अन्य आय' के शीर्ष के अन्तर्गत दिखलाये हैं जो लेखा विधि संबंधी मानक-5 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

हस्ता/-

(अत्रेयी दास)

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 13.08.2014

विस्तृत वित्तीय विवरण

31.03.2014 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाखो में)

	विवरण	नोट सं	31.03.2014 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2013 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
	I. **शेयरधारियों की निधि**:			
	(क) शेयर पूँजी	क	100.00	100.00
	(ख) रिज़र्व तथा अधिशेष	ख	1,08,909.97	93,601.59
	(2) **दीर्घकालीन देयता**:			
	(क) अन्य दीर्घकालावधि देयताएँ	ग	89,848.64	1,11,006.83
	(ख) दीर्घकालावधि प्रावधान	घ	19.95	27.82
	(3) **चालू देयताएं**:			
	(क) व्यापार देय		29,453.79	24,743.01
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	ड	57,116.53	47,313.72
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	च	4,693.28	4,145.69
	कुल		**2,90,142.16**	**2,80,938.66**
II.	**परिसम्पत्ति**			
	(1) **दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ**:			
	(क) स्थायी परिसंपत्ति			
	(i) मूर्त परिसंपत्ति	छ	1,499.14	1,541.16
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	ज	10.05	12.88
	(iii) पूँजीगत चालू कार्य		–	–
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		1,272.81	1,059.06
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	झ	51,471.71	44,368.73
	(2) **चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू निवेश	ञ	14,815.97	19,387.22
	(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	ट	61,735.15	57,853.09
	(ग) नकद एवं नकद समतुल्य	ठ	1,13,857.41	1,02,789.42
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	ड	37,591.00	46,665.99
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	ढ	7,888.92	7,261.11
	कुल		**2,90,142.16**	**2,80,938.66**
	लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	ण		
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	त		
	नोट क से त तक इस तुलन पत्र के अनिवार्य भाग हैं।			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137
स्थान: बेंगलूर
दिनांक: 23.06.2014

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 23.06.2014

31.03. 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(₹लाखों में)

	विवरण	नोट सं	31.03.2014 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2013 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	1	1,47,734.65	1,16,873.69
II	अन्य आय	2	13,137.57	12,654.52
III	कुल आय (I+II)		**1,60,872.22**	**1,29,528.21**
IV	व्यय:			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	3	1,28,937.25	1,02,962.88
	(ii) कर्मचारी लाभ व्यय	4	290.83	311.60
	(iii) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय			
	- चालू वर्ष		132.01	117.84
	- विगत वर्ष		2.22	-
	(iv) अन्य व्यय	5	1,876.28	741.26
	कुल व्यय		**1,31,238.59**	**1,04,133.58**
V	कर एवं असामान्य मद से पहले लाभ (III-IV)		29,633.63	25,394.63
VI	असामान्य मद		3.62	-
VII	कर से पहले लाभ (V+VI)		29,637.25	25,394.63
VIII	कर व्यय:	6		
	(i) चालू कर		(9,801.12)	(7,725.05)
	(ii) आस्थगित कर		213.75	37.41
IX	जारी प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**20,049.88**	**17,706.99**
X	प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय:			
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु अंश (न्यूमरेटर) के रूप में उपयोग की गई राशि:		20,049.89	17,706.99
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु हर (डिनोमिनेटर) के रूप में उपयोग की गई राशि:		1,00,000	1,00,000
	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		100.00	100.00
	प्रति इक्विटी शेयर से प्राप्त मूल तथा मिश्रित आय:		0.20	0.18
	लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	ण		
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	त		
	नोट 1 से 6, ण व त इस लाभ तथा हानि लेखा के अनिवार्य भाग हैं।			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137
स्थान: बेंगलूर
दिनांक: 23.06.2014

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 23.06.2014

31.03.2014 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के नोट की रचना

(₹ लाखों में)

नोट सं	विवरण	यूनिट	31.03.2014 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2013 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
क	**शेयर पूँजी**			
	इक्विटी शेयर			
	(क) प्राधिकृत:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	5,00,000	5,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाखों में	500.00	500.00
	(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त नकद:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	1,00,000	1,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाखों में	100.00	100.00
	(ग) प्रत्येक शेयर का सममूल्य (रुपयों में)		—	—
	(घ) (i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ड.) प्रत्येक वर्ग के शेयर से जुड़े हुए अधिकार, अधिमान तथा प्रतिबंध जिसमें लाभांश के बँटवारे पूँजी के पुनर्भुगतान शामिल हैं।		**इक्विटी शेयर** कंपनी के अर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर- धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत का मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबन्ध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है; बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा की घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार जमा पूँजी के पुनर्भुगतान एवं लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है।	**इक्विटी शेयर** कंपनी के अर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर- धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत का मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबन्ध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है; बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा की घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार जमा पूँजी के पुनर्भुगतान एवं लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है।
	(च) कम्पनी में शेयर धारकों की कुल संख्या प्रत्येक शेयर धारक, जिन्हें 5 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त हैं, से निर्दिष्ट होती है।		भारत के राष्ट्रपति तथा इनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगतान किए गए 1,00,000 के कुल 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।	भारत के राष्ट्रपति तथा इनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगतान किए गए 1,00,000 के कुल 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।

ख	**रिजर्व तथा अधिशेष**			
	(क) सामान्य रिजर्व:			
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि		93,595.00	80,035.00
	जोड़िए: चालू वर्ष के लाभ का अंतरण		15,000.00	13,560.00
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि		1,08,595.00	93,595.00
	(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व			
	रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि		–	–
	जोड़िए: चालू वर्ष के लाभ का अंतरण		325.00	–
	घटाईए: वर्ष के दौरान भुगतान		(50.00)	–
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि		275.00	–
	(ग) अधिशेष:			
	रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि		6.59	3.57
	जोड़िए: चालू वर्ष का लाभ		20,049.88	17,706.99
			20,056.47	17,710.56
	घटाईए:			
	सामान्य रिजर्व का अंतरण		(15,000.00)	(13,560.00)
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व को अंतरित (सी.एस.आर. एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप हेतु बजट - प्रावधान)		(325.00)	–
	प्रस्तावित लाभांश		(4,010.00)	(3,542.00)
	वितरित लाभ पर कर		(681.50)	(601.97)
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि		39.97	6.59
		कुल	1,08,909.97	93,601.59
(ग)	**अन्य दीर्घावधि देयताएँ**			
	(क) अन्य वाणिज्य देय		103.45	103.45
	(ख) अन्य		89,745.19	1,10,903.38
			89,848.64	1,11,006.83
(घ)	**दीर्घावधि प्रावधान**			
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
	(i) उपदान के लिए प्रावधान		6.50	9.53
	(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		13.45	18.29
			19.95	27.82
(ङ)	**अन्य चालू देयताएँ**			
	(क) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय		21,955.46	23,415.24
	(ख) ग्राहकों से अग्रिम		8,579.07	5,173.86
	(ग) संवैधानिक देयता		441.23	754.07
	(घ) व्यय के लिए लेनदार		125.81	107.87
	(ङ) परियोजना व्यय के लिए लेनदार		57.85	113.47
	(च) अन्य देयता के लिए लेनदार		25,957.11	17,749.21
			57,116.53	47,313.72
(च)	**अल्पावधि प्रावधान**			
	(क) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		1.42	1.72
	(ख) उपदान के लिए प्रावधान		0.36	–
	(ग) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		4,010.00	3,542.00
	(घ) वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान		681.50	601.97
			4,693.28	4,145.69

(छ)	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**			
	(i) (क) भवन		1,236.14	1,243.57
	(ख) फर्नीचर एवं उपकरण		209.09	240.91
	(ग) कम्प्यूटर		15.60	25.78
	(घ) कार्यालय उपकरण		36.85	30.90
	(ङ) संचारजाल उपकरण		1.46	–
			1,499.14	**1,541.16**
	(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समाधान तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम		इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
(ज)	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ**			
	(i) कम्प्यूटर साफ्टवेयर		10.05	12.88
	(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समायता तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम		इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
(झ)	**दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम**			
	(प्रतिभूतिरहित - खरे माने गए)			
	(क) सुरक्षा जमा		5,015.09	5,015.29
	ख) कर्मचारियों के लिए अग्रिम		0.26	0.13
	(ग) कर्मचारियों के अग्रिम पर जमा ब्याज		0.11	0.07
	(घ) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम		1,344.20	1,419.17
	(ड) कर - वापसी बकाया		12,018.98	9,786.28
	(च) विरोध के अधीन कर भुगतान		912.47	912.47
	(छ) वाणिज्य लेनदारों को अग्रिम		32,175.19	27,229.81
	(ज) व्यय के लिए अग्रिम		5.41	5.51
			51,471.71	**44,368.73**
(ञ)	**चालू निवेश**			
	म्यूचुअल फण्ड में निवेश:			
	(लागत पर - अवाणिज्यिक - अनुद्धृत)		–	1,016.05
	केनरा रोबेको अल्पावधि फण्ड- सीधा महीनावार डिविडेड-6 महीने			
	(विगत वर्ष में, प्रत्येक 1,00,196,62.9150 यूनिट को रु.10.14 के दर से (@) निवेश किया गया; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.का मान 10.1291, की दर से रु.1014.90,167,67 था)		–	1,135.81
	केनरा रोबे एम.एफ. ट्राई अड्वा.सुपर इन्स्टी डी.एल.वाई डिव रिनिव फण्ड			
	विगत वर्ष में प्रत्येक रु.1240.71/- की दर से (@) रु. 91,545.1120 यूनिट में निवेश किसा गया जो विगत वर्ष का एन.ए.वी. था			
	यूटीआई एमएफ लघु अवधि आय फंड इन्स्टी-इंक आप्ट-आरई-इनव		–	1,511.80
	(1,38,18,435.117 यूनिट पर @ रु.10.94 में निवेश किया गया; वर्ष के अंत में एन.ए.वी. 11.0027 की दर से रु. 15,20,40,096 रहा)			
	यूटीआई ट्रेजरी अडवान्टेज फण्ड-डाइरेक्ट डेली डिविडेन्ड		–	3,809.62

	(3,80,880.933 यूनिट पर @ रु.1000.2141 की दर से निवेश किया गया; जो वर्ष के अंत में समान राशि का एन.ए.वी. रहा ।)			
	केनरा रोबेको एमएफ इंडिगो फंड निंरतर वृद्धि - 366 डी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 12.1156 की दर से 2,06,34,553.7980 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 12.8297 की दर से एन.ए.वी.का मान रु 26,60,35,142 रहा।		–	2,500.00
	केनरा रोबेको एमएफ इंडिगो फंड निंरतर वृद्धि - 366 डी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 12.9.43 की दर से 77,49,354.8660 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 12.8297 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 9,99,10,107 रहा।		–	1,000.00
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ बाण्ड फण्ड-ग्रो प्ला न-लॉक 6 महीने में विगत वर्ष में प्रत्येक रु 32.2502 की दर से 6,32,703.890 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 32.7761 की दर से एन.ए.वी.का मान रु 2,07,37,566 रहा।		–	204.05
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ एफएमपी श्रृंखला 52-367 डी ग्रोथ विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 1,50,17,543 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 11.0280 की दर से एन.ए.वी.का मान रु 16,56,13,464 रहा।		–	1,501.75
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ एफएमपी श्रृंखला 62-456 डी डायरेक्ट ग्रोथ योजना विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 1,65,83,722 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.8375 के दर से ए न.ए.वी.का मान रु 17,97,26,087 रहा।		1,658.37	–
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ एफएमपी श्रृंखला 66-371 डी डायरेक्ट ग्रोथ योजना विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 2,00,00,000 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.5834 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 21,16,68,000 रहा।		2,000.00	–
	एसबीआई ऋण फण्ड श्रृंखला 25 - 366 दिन - एफएमपी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 2,20,81,400 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.8625 (विगत वर्ष -10) की दर से एन.ए.वी.का मान रु 23,98,59,207 (विगत वर्ष-रु 22,08,14,000) रहा।		2,208.14	2,208.14
	एसबीआई एम.एफ. ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दि न - 17 बढ़ोत्तरी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 1,00,00,000 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.2975 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 10,29,75,000 रहा।		–	1,000.00
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दिन - 3 बढ़ोत्तरी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 2,50,00,000 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.8659क की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 27,16,47,500 रहा।		–	2,500.00
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दि न श्रृंखला - 16 - बढ़ोत्तरी विगत वर्ष में प्रत्येक रु 10/- की दर से 1,00,00,000 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 10.3219 की दर से एन.ए.वी.का मान रु 10,32,19,000 रहा।		–	1,000.00
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान		1,552.27	–

	विगत वर्ष में प्रत्येक रु 2211.1875/- की दर से 70,200.6402 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 2324.9326 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 16,32,11,757 रहा।			
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान विगत वर्ष में प्रत्येक रु 2014.8907 की दर से 1,34,282.185 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 2017.2625 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 27,08,82,416 रहा।		2,705.64	–
	यूटीआई लिक्विड नकद योजना-इंस्ट-डायरेक्ट ग्रोथ प्लान विगत वर्ष में प्रत्येक रु 2100.9305 की दर से 2,23,308.440 यूनिट में निवेश किया गया। विगत वर्ष के अंत में 2103.8304 की दर से ए न.ए.वी.का मान रु 46,98,03,087 रहा।		4,691.56	–
			14,815.98	**19,387.22**
	म्यूचुअल फंड में अनुद्धृत, अवाणिज्यिक वर्तमान निवेश की कुल राशि		**14,815.98**	**19,387.22**
ट	**व्यापार प्राप्तियाँ**			
	(क) भुगतान की तिथि से छः महीने से अधिक समय से बाकी व्यापार प्राप्तियाँ:			
	(i) सुरक्षित-खरे माने गये		1,339.14	962.62
	(ii) असुरक्षित-खरे माने गये		17,149.50	13,083.73
	(iii) संदिग्ध माने गए		3,706.61	3,237.34
			22,195.25	17,283.69
	घटाइए: संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान		(3,706.61)	(3,237.34)
			18,488.64	14,046.35
	(ख) अन्य ऋण:			
	(i) सुरक्षित-खरे माने गये		6,178.68	6,316.71
	(ii) असुरक्षित-खरे माने गये		37,067.83	37,490.03
			43,246.51	**43,806.74**
			61,735.15	**57,853.09**
ठ	**नकद एवं नकद - समतुल्य**			
	(क) बैंक में बकाया		89,074.23	57,657.97
	(ख) नकद		0.20	0.14
	(ग) 12 महीने से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा		24,782.97	45,131.31
			1,13,857.40	**1,02,789.42**
ड	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**			
	(असुरक्षित-खरे माने गये)			
	(क) व्यय के लिए अग्रिम		336.45	218.46
	(ख) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम		37,245.00	29,610.37
	(ग) व्यापार लेनदार के लिए अग्रिम		-	16,825.74
	(घ) अन्य वसूलियाँ		9.55	11.42
			37,591.00	**46,665.99**
ढ	**अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(असुरक्षित-खरे माने गये)			
	(क) बैंक में जमा राशि के लिए प्राप्त ब्याज		5,731.68	5,860.46
	(ख) निविष्ट सेवा कर		2,157.25	1,400.65
			7,888.93	**7,261.11**

(₹ लाख में)

नोट - जी का अनुबंध - मूर्त परिसंपत्तियां

क्र. सं	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				मूल्य ह्रास (डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति के अंतर्गत)				निवल योजित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.2013 के अनुसार	जोड़	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.2014 तक	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
1	भवन	1,298.04	59.78	–	1,357.82	54.47	67.20	–	121.67	1,236.15	1,243.57
2	फर्नीचर और उपकरण	332.81	13.54	–	346.35	91.90	45.36	–	137.26	209.09	240.91
3	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	83.81	0.56	2.61	81.77	58.03	10.60	2.46	66.17	15.60	25.78
4	कार्यालय उपकरण	56.12	11.72	0.97	66.86	25.22	5.46	0.67	30.01	36.85	30.90
5	संचारजाल उपकरण	–	1.61	–	1.61	–	0.16	–	0.16	1.45	–
	कुल	1,770.78	87.21	3.58	1,854.41	229.62	128.78	3.13	355.27	1,499.14	1,541.16
	पिछले वर्ष के आँकड़े	149.93	1,617.42	3.42	1,770.78	114.11	112.67	2.84	229.62	1,541.16	35.82

नोट - संयुक्त व्यापार तथा हानि/प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है।

भवन का निर्माण वार्षिक किराए के आधार पर 60 वर्षो की प्रारंभिक अवधि अथवा कोई 01.02.2009 से आरंभ किसी दिए गए समय विस्तार के लिए अंतरिक्ष भवन, भारत सरकार द्वारा कंपनी को पट्टे पर दी गई जमीन पर किया गया है। पट्टे की अवधि 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पारस्परिक सहमति पर वार्षिक किराए पर बढ़ाई जाएगी।

नोट - एच का अनुबंध - अमूर्त परिसंपत्तियां

क्र. सं	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				लेखा नीति मानक ए.एस. 26 के अंतर्गत परिशोधन (सरल रेखा पद्धति)				निवल योजित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.2013 के अनुसार	जोड़	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.2014 तक	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	23.63	2.62		26.25	10.75	5.45		16.20	10.05	12.88
	कुल	**23.63**	**2.62**		**26.25**	**10.75**	**5.45**	**–**	**16.20**	**10.05**	**12.88**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**10.76**	**16.29**	**3.42**	**23.63**	**8.86**	**5.16**	**3.27**	**10.75**	**12.88**	**1.90**

नोट - संयुक्त व्यापार तथा हानि/प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है।

31.03.2014 के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा के भाग के नोट की रचना

(₹ in Lakhs)

नोट सं	विवरण	यूनिट	31.03.2014 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2013 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
1	**प्रचालन से राजस्व**			
	(क) उत्पादों की बिक्री:			
	(i) निर्यात		356.12	226.68
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल लाभ/ (हानि) तथा निर्यात से संबंधित अंतरण		(25.80)	21.24
			330.32	247.92
	(ii) अन्तर्देशीय बिक्री		20,132.29	327.31
	(ख) सेवा की बिक्री:			
	(i) विदेशी परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		117.25	155.77
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि)तथा एफसीएस से संबंधित अंतरण		16.99	6.96
			134.24	162.73
	(ii) अन्तर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		232.52	1,093.23
	(ग) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व:			
	(1) विदेशी प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		530.89	1,946.92
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएफआर से संबंधित अंतरण		46.55	25.86
			577.44	1,972.78
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियाँ		10,530.80	6,193.46
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एचएफ से संबंधित अंतरण		(389.54)	250.43
			10,141.26	6,443.89
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		119.34	203.58
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएएससीसी से संबंधित अंतरण		0.66	3.48
			120.00	207.06
	(iv) निर्यात प्रोत्साहन		53.92	56.54
	(2) अन्तर्देशीय प्राप्तियाँ:			
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		1,16,012.66	1,06,362.23
			1,47,734.65	**1,16,873.69**
2	**अन्य आय**			
	(क) ब्याज से प्राप्त आय:			
	(i) बैंक में जमा राशि पर		9,747.04	9,922.93
	(ii) अग्रिम तथा बकाया देनदारों पर		110.48	698.45
	(ख) निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या/हानि:			
	(i) म्यूचुअल फंड निवेश पर दीर्घ अवधि पूँजीगत लाभ		656.00	1,108.61
	(ii) म्यूचुअल फंड निवेश पर अल्पावधि पूँजीगत लाभ		92.98	46.52
	(iii) म्यूचुअल फंड निवेश पर अल्पावधि पूँजीगत हानि		(42.83)	(0.48)

	(ग) म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभांश प्राप्तियाँ		782.03	741.82
	(घ) विदेशी मुद्रा पर निवल लाभ/हानि तथा बकाया देयता एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित अंतरण		(95.99)	133.13
	(ड) देयता जिसको आगे वापस करने की आवश्यकता न हो		43.54	–
	(च) पिछली अवधि के मद		1,820.02	–
	(छ) विविध आय		24.30	3.54
			13,137.57	**12,654.52**
3	**प्रचालन से राजस्व की लागत**			
	(क) विक्रय की लागत:			
	(i) निर्यात की लागत		216.29	119.45
	(ii) अतर्देशीय बिक्री की लागत		17,488.77	282.10
	(ख) सेवा की लागत:			
	(i) विदेशी परामर्श प्राप्तियाँ की लागत		71.30	93.33
	(ii) अतर्देशीय परामर्श प्राप्तियों की लागत		189.19	949.26
	(ग) अन्य राजस्व की लागत:			
	विदेशी प्राप्तियों के लिए:			
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ		475.12	1,160.99
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियों की लागत		6,342.41	4,703.05
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत अन्तर्देशीय प्राप्तियों के लिए		101.43	182.21
	अन्तर्देशीय प्राप्तियों के लिए:			
	(i) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार प्राप्तियों की लागत		1,04,052.74	95,472.49
			1,28,937.25	**1,02,962.88**
4	**कर्मचारियों के लाभ पर व्यय**			
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक		18.58	16.87
	ई.डी. को पारिश्रमिक		16.32	13.20
	निदेशकों की बैठक फीस		0.39	–
	वेतन		42.10	48.03
	सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए योगदान		1.33	1.88
	कर्मचारी कल्याण		12.35	49.33
	छुट्टी यात्रा रियायत		4.00	6.05
	छुट्टी नकदीकरण का भुगतान		3.87	1.50
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान		–	8.03
	भुगतान किया गया उपदान		3.39	2.26
	उपदान प्रावधान		–	3.33
	स्थापना व्यय		188.50	161.00
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय		–	0.12
			290.83	**311.60**
5	**अन्य व्यय**			
	यात्रा व्यय		28.78	36.05
	सवारी और टैक्सी भाडा		23.25	20.37
	मुद्रण और लेखा सामग्री		8.39	10.77
	संचार संबंधी खर्च		30.63	30.60
	कानून परामर्शिता तथा व्यावसायिक शुल्क		1,055.00	155.77
	दर तथा कर		0.03	0.04
	प्रचार एवं विज्ञापन		1.65	7.54
	व्यवसाय प्रापण कमीशन		–	233.63
	आतिथ्य व मनोरंजन		–	0.23

	संगोष्ठि, सम्मेलन तथा बैठक संबंधी व्यय		11.94	11.16
	प्रदर्शनी व व्यवसाय मेला		–	44.18
	पट्टे पर किराया		0.10	0.10
	करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज		200.12	2.76
	बैंक प्रभार		10.40	7.31
	बैंक गारंटी तथा एल सी प्रभार		1.11	0.98
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य		12.98	14.65
	लेखा परीक्षण के लिए भुगतान			
	लेखा परीक्षकों के रूप में		2.08	1.85
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.12	0.49
	सदस्यता एवं अभिदान		2.83	0.94
	विविध व्यय		17.60	17.39
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान		469.27	111.06
	अवधि की पूर्व की मदें अन्य के नोट संख्या 13 में विस्तृत जानकारी के अनुरूप		–	33.39
			1,876.28	**741.26**
6	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर		9,823.00	7,692.00
	पिछले वर्षों में आई.टी. के लिए अतिरिक्त/लघु प्रावधान		(21.88)	33.05
			9,801.12	**7,725.05**
	(ii) आस्थगित कर			
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)		163.43	37.41
	वर्ष के दौरान प्रतिलोम आस्थगित कर (बचत)		50.32	–
			213.75	**37.41**

नोट - o

लेखा विधि संबंधी नीतियाँ

1. **सामान्य**

कम्पनी चालू संस्था, एकरूपता और लेखा की उपचित पद्धति नामक मूलभूत लेखा-विधि का अनुपालन करती है जब तक लेखा विधि संबंधी नीति में अन्यथा न कहा गया हो।

2. **आय**

(i) **बिक्री**:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि, भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपुर्दगी के लिए चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी। और, यदि सुपुर्दगी संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) **सेवाएँ**:

(क) <u>प्रमोचन, संस्थापन, कमीशन और परीक्षण एवं निर्माण कार्य</u>:

संविदा (ठेका) में विनिर्दिष्ट लागत के संदर्भ के अनुरूप काम के क्रमवार पूरा होने के बाद ही राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) <u>अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड प्रभार, दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश कक्षीय जाँच, आदि</u>:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क सेवा के पूरा होने पर एकबारगी या आवर्ती सेवा प्रदान करने की संविदा (ठेका) के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) **परामर्शिता**:

राजस्व की प्राप्ति, सेवा के पूर्ण होने पर या परामर्शिता संविदा की प्रकृति के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) **सम्मिश्र ठेका**:

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए राजस्व उपर्युक्त (ii) से (iii) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

(v) **अन्य आय**:

(क) ब्याज:

ब्याज से आय प्रोदभवन के आधार पर स्वीकार की गई है। जबकि, व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय को संविदा के अनुसार समय के समानुपात के आधार पर भुगतान होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

(ख) रॉयल्टी:

रॉयल्टी का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा गया है।

(ग) निवेश से प्राप्त लाभांश:

भुगतान पाने के लिए जब कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा-विनिमय में उतार-चढाव:

प्रचालन से प्राप्त राजस्व के संबंधित मूल्य में विदेशी मुद्रा में होनेवाले अंतर को समाहृत किया गया है।

3. **व्यय**

अं.वि./इसरो को देय निर्यात लागत, विदेशी (अन्य) प्राप्तियाँ, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियाँ का लेखा-जोखा, अं.वि./इसरो तथा कम्पनी के बीच परस्पर सहमति और स्वीकृति के अनुसार किया गया है।

4. **स्थायी परिसम्पतियाँ**

इतिवृत्तीय लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखा गया है।

5. **मूल्यह्रास-ए.एस.-6**

सिवाय अमूर्त परिसंपत्तियों के, स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वेल्यू पद्धति के तहत प्रदान किया गया है।

6. **अमूर्त परिसंपत्तियाँ - ए.एस.26 के अन्तर्गत परिशोधन व्यय**

अमूर्त परिसंपत्तियाँ सरल रेखा विधि के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित की जाती हैं जबकि सॉफ्टवेयर से संबंधित परिसंपत्तियाँ प्रयोग की उपलब्धता की तिथि से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए या फिर अनुज्ञप्ति अवधि या विधिक अधिकारों के तहत निर्धारित अवधि के लिए ही परिशोधित की जाती हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाएगी और यदि पिछले आकलन की तुलना में परिसंपत्ति की वर्तमान उपयोगी जीवन में अपेक्षित अंतर नजर आता है तो परिशोधन की अवधि में यथानुसार बदलाव लाया जाएगा।

7. **मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11**

विदेशी मुद्रा विनिमय में किये गये लेन-देन का लेखा-जोखा अंतरण-दिन के विनिमय दर के आधार पर रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा में धन-राशि प्राप्त करने या उसका भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित और आर्थिक परिसम्पत्तियाँ अथवा देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में लागू विनिमय दर अथवा तदन्तर निपटान की गई दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और उतार-चढाव को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया गया है।

8. **उक्त अवधि, अवधि पूर्व की मदों के लिए निवल लाभ व हानि और लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन ए.एस.5**

आय व व्यय की ऐसी सभी मदें, जो इस अवधि के दौरान स्वीकार की गई हों, को उक्त अवधि में निवल लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया गया है जब तक एक अन्य लेखा विधि मानक आवश्यक न हो या अन्यथा कोई अन्य आदेश मिले। एक या अधिक पूर्वावधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली गलती या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्‌भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय व व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

9. **परिसम्पत्तियों की हानि - ए.एस.28**

जब परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली लागत से ज्यादा होती है तब परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है जिस वर्ष की परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान पाई अपसामान्य हानि को वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

10. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ - ए.एस.-29**

ऐसे प्रावधान जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त निहित मात्रा को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बनती है और संसाधन का बहिर्गमन संभव होता है। आकस्मिक देयताओं को स्वीकृत नहीं किया गया है परन्तु टिप्पणियों में दिखाया गया है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो स्वीकृत किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

11. **संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान**

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान सामान्यतया ऐसे ऋणों के लिए किया जाता है जो तीन साल से ज्यादा वर्षों से बकाया हैं सिवाय केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा देय हैं, जिसके लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

12. **निवेश**

वित्त वर्ष 2011-12 से लागू कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित सूची VI के अनुसार, निवेश को "दीर्घकालीन निवेश" तथा "चालू निवेश" में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेश के लिए अग्रेणित राशि, लागत से कम है तथा सही मूल्य को, व्यक्तिगत निवेश या निवेश के वर्गीकरण के आधार पर लिया जाता है न कि समग्र (या वैश्विक) आधार पर। दीर्घकालीन निवेश को लागत के आधार पर लिया जाता है। परन्तु, अस्थायी के अलावा, दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास होता है, तब अग्रेणित राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसकी अग्रेणित राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय, को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

नोट-पी

लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
1	**आकस्मिक देयता एवं प्रतिबद्धताएँ** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)		
	(i) **आकस्मिक देयताएँ**:		
	(क) कम्पनी के प्रति दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
	(i) माननीय सर्वोच्च-न्यायालय में कर्नाटक मूल्यनियोजित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर की माँग का विवाद	37,321.41	37,321.41
	(ii) सीईएसटीएटी, बेंगलूर में सेवा कर माँग का विवाद	106.01	106.01
	(iii) ग्राहक द्वारा माँगे गए परिसमाप्ति क्षति का दावा	2,189.00	2,189.00
	(ख) गारंटी	कंपनी द्वारा ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।	कंपनी द्वारा ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से देय है	शून्य	शून्य
	ii) **प्रतिबद्धताएँ**:		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाए तथा जिसके लिए प्रावधान न किया गया हो	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ (आपूर्ति एवं सेवा के लिए कम्पनी के द्वारा किए गए करार पर)	1,60,985.75	1,16,523.49
2	(i) उक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि	4010.00	3,542.00
	(ii) प्रति शेयर संबंधी राशि	0.04	0.04
3	स्थायी परिसम्पत्तियों के अलावा किसी अन्य परिसम्पत्ति के बारे में बोर्ड की राय जिनका सामान्य व्यापार के क्रम में दीर्घकालीन निवेश प्राप्ति पर कोई मूल्य, कम-से-कम उनके द्वारा उल्लिखित की गयी राशि के समान नहीं हो	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापार के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापार के क्रम में प्राप्य होगा।
4	i) भण्डार व कल-पुर्जों का उपभोग: क) आयातित ख) देशी प्रापण	दिनांक 01.10.2014 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।	दिनांक 04.06.2013 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/8/2013-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।
	ii) वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है: क. कच्चा माल ख. घटक एवं कलपुर्जे ग. पूँजीगत माल	-वही-	-वही-

	iii) वित्त वर्ष के दौरान रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले की मद में विदेशी मुद्रा में व्यय	दिनांक 01.10.2014 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।	दिनांक 04.06.2013 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/8/2013-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।
	iv) वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गये सभी आयातित कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक तथा इसी तरह उपयोग किये गये सभी स्वदेशी कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत	-वही-	-वही-
	v) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में प्रेषित लाभांश की राशि जिसमें प्रवासी शेयरधारकों की कुल संख्या विशेष तौर से उल्लिखित हो, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश बाकी हो और वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	vi) निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में अर्जित आय का निम्नवत वर्गीकरण:	दिनांक 01.10.2014 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।	दिनांक 04.06.2013 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/8/2013-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।
	क. एफ.ओ.बी. आधार पर माल के निर्यात का परिकलन		
	ख. रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क	-वही-	-वही-
	ग. ब्याज एवं लाभांश	शून्य	शून्य
	घ. प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए अन्य आय	शून्य	शून्य

5. वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर का ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर (₹ लाखों में)	नामे/जमा	लाभ और हानि लेखा
बैंक ईईएफसी	95.99	नामे	विविध आय में नामे किया गया
चालू खाते, परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	(133.13)	जमा	(विविध आय में जमा किया गया)

पिछले वर्ष के आँकडें कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

6. प्रतिभूति के रूप में "सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला-"V"सर्कल, बेंगलूर, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते में" 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमाराशि में केनरा बैंक में जमा कुल ₹ 0.34 लाख (पिछले वर्ष में ₹ 0.31 लाख) की जमा राशि शामिल है।

7. 13,00,000 यूरो एवं 90,000 अमेरिकी डॉलर के कुल समतुल्य ₹ 1,139.41 लाख (पिछले वर्ष - 20,000 अमेरिकी डॉलर एवं 1,10,000 अमेरिकी डॉलर के कुल समतुल्य ₹ 71.24 लाख) की राशि के लिए कम्पनी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के एवज में कम्पनी ने ₹ 1,281.63 लाख (पिछले वर्ष-₹ 600.00 लाख) नियत जमा राशि के रूप में बैंक में अमानत के तौर पर जमा किए। हालाँकि कम्पनी उक्त नियत जमा राशि पर ब्याज कार्ड दर के आधार पर अर्जित कर रही है। अभी ए.एस.-29 में दी गई परिभाषा के आधार पर "प्रावधान" पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और इस कारण उक्त ए.एस. के लिए अनुच्छेद 66 एवं 67 के अन्तर्गत प्रकटन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

8. के.वी.ए.टी. के तहत ₹ 20,102.42 लाख और सी.एस.टी. अधिनियम के तहत ₹ 493.14 लाख (कुल ₹ 20,595.56 लाख) जिसमें 01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए शास्ति एवं ब्याज भी शामिल है, की माँग के प्रति, कम्पनी ने वाणिज्यिक कर प्राधिकार के उक्त आदेश के विरुद्ध कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपील की थी और न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वाणिज्यिक कर विभाग की माँग का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश से आहत होकर कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12.03.2010 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसके तहत कम्पनी को कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग को ₹ 5000.00 लाख की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। कम्पनी ने के.वी.ए.टी. के तौर पर ₹ 250.00 लाख की राशि एवं सी.एस.टी. के तौर पर ₹ 662.47 लाख की राशि वाणिज्यिक कर विभाग को 'विरोध के अंतर्गत' कुल ₹ 912.47 लाख की राशि भुगतान की जिसे दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ-दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के तहत प्रकट किया

गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कम्पनी को भविष्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिवाद आदेश को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया, जिसको उसके दूसरे अंतरिम आदेश दिनांक 03.05.2010 द्वारा तदन्तर रोका गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार यह भी निर्देश दिया -"निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही करने दिया जाए पर अगले आदेशों तक कोई वसूली न की जाए।" यह मामला विचाराधीन है।

9. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 के अनुसार निर्धारण अधिकारी ने 01.08.2008 से 31.03.2010 तक की अगली अवधि के लिए कम्पनी के राजस्व का निर्धारण किया और दिनांक 19.08.2010 को जारी किए गए आदेशानुसार के.वी.ए.टी. को ₹ 16,711.98 लाख का जुर्माना लगाया और इसे दिनांक 30.04.2012 को जारी आदेश द्वारा संशोधित कर ₹ 16,725.85 लाख कर दिया गया जिसमें ब्याज एवं दण्ड राशि शामिल हैं। कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरोध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक आदेश याचिका (डब्ल्यू.पी.) सं.30308/2010 दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की है और यह मामला विचाराधीन है।

10. सेवा कर आयुक्त, अधिक करदाता यूनिट, बेंगलूर ने 2003-2005 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर निर्माण, अभिचालन और स्थापना के तहत ₹ 53.01 लाख और ₹ 53.00 लाख की राशि के शास्ति के साथ, कुल मिलाकर, ₹ 106.01 लाख के सेवा कर की देयता का आदेश दिया है। इस आदेश के प्रति दिनांक 6.8.2010 को सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर में अपील की गई थी।

    यह मामला दो बार क्रमश: दिनांक 08.10.2010 और दिनांक 07.01.2011 को न्यायालय के सामने आया और विवाद समिति (सी.ओ.डी.) के स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया गया। सी.ओ.डी. की बैठक दिनांक 27.01.2011 को हुई और उनके पत्र सं. सी.ओ.डी./08/2011 दिनांक 07.02.2011 के अनुसार कम्पनी को सहमति दी गई कि वह न्यायालय के सामने अपील दाखिल करें। दिनांक 12.01.12 के रोक आदेश सं.51/2012 के अनुसार सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने पूर्व-विक्षेप छोड दिया है एवं बकाया समायोजित कर दिया है तथा उसकी वसूली को रोक दिया है। दिनांक 07.01.2013 के पत्र सं.V/15/एन्ट्रिक्स/16/2009-जी.एल.टी.-1 के अनुसार उपायुक्त, सेवा कर ने केन्द्रीय सेवा कर अधिनियम, 1944 के अनुच्छेद 35 सी की उप धारा 2ए के अनुसार सी.ई.एस.टी.ए.टी. द्वारा लगाये गये रोक को हटाने के लिए सूचित किया जो कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अर्न्तगत सेवा कर में लागू किया गया है एवं ₹ 53.00 लाख के जुर्माना तथा ₹ 53.01 पर ब्याज सहित भुगतान की मांग की है। इस मांग के विरोध में कंपनी ने दिनांक 07.01.2013 के आदेश को खत्म करने का निवेदन करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.02.2013 के अपने आदेश में न्यायाधिकरण को अपील जल्दी से निपटाये जाने का निर्देश दिया और न्यायाधिकरण के दूसरे मामले के निपटारे की तिथि तक वसूली पर रोक लगा दी। मामला अभी न्यायाधिकरण में लंबित है।

11. अन्तरिक्ष विभाग ने पत्र सं.बी 31012/3/2011-अनु-5 दिनांक 23/02/2011 द्वारा कम्पनी को मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड (देवास) के साथ 28.1.2005 को किए गए करार को रद्द करने का निदेश दिया। कम्पनी ने पत्र सं. Antx/07-85(02)/2011 दिनांक 25.02.2011 के अनुसार करार तत्काल रद्द कर केन्द्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय को सूचित किया कि एस-बैण्ड में कक्षीय स्लॉट कम्पनी को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध न कराया जाए। केन्द्रीय सरकार ने शासन क्षमता के रूप में नीतिगत निर्णय लिया है और यह अपरिहार्य घटना है जो 23/02/2011 को हुई और अनिश्चित है और यह कम्पनी के तर्क संगत नियंत्रण से परे है। यह अपरिहार्य घटना करार की धारा 11(बी) (वी) के तहत है। कम्पनी के द्वारा करार के अनुसार उत्तरदायित्व को फिर लेने की संभावना को इस समापन के साथ निकाल दिया जाता है। कम्पनी ने इस करार के समापन पर देवास से प्राप्त आरक्षण प्रभार ₹ 5,837.00 लाख को 2011-12 के दौरान वापस कर दिया है। परंतु देवास ने लौटाये हुए धन को नहीं लिया और कम्पनी को उक्त राशि वापस दे दी है।

    देवास ने 29.06.2011 को अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत पेरिस में करार को बरकरार रखने हेतु मध्यस्थता याचिका दर्ज की है। कम्पनी आई.सी.सी के तहत विवेचन से सहमत नहीं है और इस सूचना को दिनांक 11.7.2011 के पत्र द्वारा सूचित कर दिया है और आई.सी.सी. के साथ तदन्तर पत्राचार में इसको दोहराया भी है। कम्पनी ने करार में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया है और 30.7.2011 को देवास को नोटिस जारी की है। कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दर्ज की है कि करार के अनुसार देवास को मध्यस्थों की नियुक्ति का निर्देश दिया जाए। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई मध्यस्थता याचिका को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मध्यस्थता एवं समझैता अधिनियम, 1996 के अन्य प्रावधानों के वसूली-अधिकार की छूट को, 10 मई, 2013 को खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2013 के आदेश के प्रकाश में एन्ट्रिक्स के समक्ष उपलब्ध विकल्पों पर विभाग के माध्यम से भारत के महाधिवक्ता की सलाह ली गई। भारत के महाधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2013 के आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर करने की सलाह दी। कम्पनी द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका को भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

    समीक्षा याचिका के खारिज होने के परिणामस्वरुप देवास द्वारा पहल की गई आई.सी.सी. की कार्यवाही में एन्ट्रिक्स भाग ले रही है। देवास ने 20 फरवरी, 2012 में हर्जाने का दावा दायर किया जिसमें उन्होंने करार के विशिष्ट निष्पादन की इच्छा जताई जिसके न पूरे होने की स्थिति में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान की भरपाई के प्रावधान का दावा किया। तदन्तर, जून 2013 को

देवास ने अपने दावे में सुधार करते हुए दावे को, करार में शामिल विशिष्ट निष्पादन पर जोर दिए बिना केवल क्षतिपूर्ति तक सीमित रखा।

15 नवंबर, 2013 को एन्ट्रिक्स ने प्रतिवाद याचिका दायर की। देवास ने 24 मार्च, 2014 को प्रत्युत्तर विवरण दायर किया और एन्ट्रिक्स का प्रतिवादी उत्तर 01 अगस्त, 2014 को दायर किया जाना है। मामले की सुनवाई 15 दिसंबर, 2014 को दिल्ली में नियत की गई है या किसी अन्य जगह पर सुनवाई करने का निर्णय न्यायाधिकरण के विचाराधीन होगा।

कम्पनी ने देवास द्वारा प्रारंभ आई.सी.सी. कार्यवाहियों के समादेशन के लिए अपर नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर में मध्यस्थता का आवेदन और मुकदमा भी दाखिल किया और जताया कि मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुसार नहीं है। एन्ट्रिक्स ने मध्यस्थता याचिका में अपना विवाद पूरा किया (मध्यस्थता एवं समझैता अधिनियम 1996 की धारा 9 के अन्तर्गत) और अपर नगर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष सिविल मुकदमा दर्ज किया। अब, इस मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर, 2014 को निर्धारित की गई है।

मध्यस्थता निर्णय के अंतिम निपटान पर, इसकी स्वीकृति के वर्ष के लेखाओं में समुचित लेखाविधि को अपनाया जायेगा।

12. उपदान एवं छुट्टी नगदीकरण का प्रावधान लेखाविधि मानक (ए.एस.)-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं और उनका प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

क. उपदान

तालिका 1 - तुलन पत्र में स्वीकृत की जानेवाली धन-राशि

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
	(₹ लाख में)	
वित्त न प्रदान किये गये कार्यों का वर्तमान मूल्य	6.86	9.52
तुलन पत्र में धनराशि		
देयता - चालू	0.36	0.42
देयता - दीर्घकालीन	6.50	9.10
परिसम्पत्तियाँ		
निवल देयता	**6.86**	**9.52**

तालिका 2 - लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत किये जाने वाले व्यय

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
	(₹ लाख में)	
चालू सेवा लागत	0.80	0.83
निर्दिष्ट लाभ कार्य पर ब्याज	0.82	0.60
वर्ष में स्वीकृत निवल वास्तविक हानि/(लाभ)	(0.90)	4.16
'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	**0.72**	**5.59**

तालिका 3 - वर्ष के लिए लाभ कार्यों तथा योजना परिसम्पत्तियों का समायोजन

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
	(₹ लाख में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्यों में परिवर्तन		
प्रारंभिक निर्दिष्ट लाभ कार्य	9.52	6.20
चालू सेवा लागत	0.80	0.83
ब्याज लागत	0.82	0.60
वास्तविक हानि/(लाभ)	(0.90)	4.15
लाभ प्रदत्त	(3.39)	(2.26)
समाप्त निर्दिष्ट लाभ कार्य	6.85	9.52
परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
योजना परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	–	–
नियोक्ता द्वारा योगदान	3.39	2.26
प्रदत्त लाभ	(3.39)	(2.26)
योजना परिसम्पत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	–	–
अगले वर्ष नियोक्ता द्वारा प्रत्याशित योगदान	0.36	0.43

तालिका 4 - परिसंपत्तियों की सूचना - शून्य

तालिका 5 - अनुभवजन्य समायोजन		
	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 2014	**31 मार्च 2013**
	(₹ लाख में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्य	6.86	9.52
योजना परिसंपत्तियाँ	–	–
अधिशेष (घाटा)	(6.86)	(9.52)
योजनाबद्ध देयता पर अनुभवजन्य समायोजन	0.26	2.57
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर अनुभवजन्य समायोजन	–	–

तालिका 6 - मुख्य वास्तविकता के पूर्वानुमान का सार

मूल्यांकन दिनांक पर वित्तीय पूर्वानुमान		
	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 2014	**31 मार्च 2013**
छूट दर (प्र.व)	9.30%	8.15%
परिसम्पत्तियों के प्रति लाभ की प्रत्याशित दर (प्र.व)	0.00%	0.00%
वेतन वृद्धि की दर (प्र.व)	पहले 4 वर्षों के लिए 11.00% और तदुपरांत 7%	पहले 5 वर्षों के लिए 11.00% और तदुपरांत 7%

मूल्यांकन की तारीख को जनसांख्यिकी पूर्वानुमान

सेवा-निवृत्ति की आयु:
कंपनी के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होते हैं

सेवा निवृत्ति की दर प्रतिशत:
निदर्श आयु-वर्ग में नौकरी छोड़ने की दर नीचे दर्शायी गई है:

आयु-वर्ग (वर्ष में)	**दर प्रति वर्ष**
21-30	5%
31-40	3%
41-59	2%

विकलांगता:
सेवा-निवृत्ति के सभी कारणों के लिए किए गए प्रावधान में विकलांगता के कारण सेवा-निवृत्ति भी शामिल है।

(ख) छुटी का नकदीकरण-प्रकटीकरण

अनुपूरित अनुपस्थिति से होनेवाला व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है, जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि मानक सं.5 या लेखा विधि मानक सं.18 के तहत संगत है, को छोड़कर, ए.एस.15 (आर.) के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे किसी विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

13. पिछली अवधि की मदों (जमा एवं ऋण) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण		**31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)**	**31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)**
(अ)	**पिछली अवधि की मदों में जमा**		
क	अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क आय (लागत का निवल)	891.68	160.81
ख	विदेशी परामर्शिता से आय (लागत का निवल)	–	48.41
ग	आंतरिक परामर्शिता से आय (लागत का निवल)	6.72	0.27
घ	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी से आय (लागत का निवल)	379.10	11.40
ङ	निर्यात	91.18	1.12
च	अतिथि सत्कार से प्राप्तियाँ	4.18	–

छ	बैंक में जमा राशि पर ब्याज से आय	1.39	–
ज	निर्यात की लागत की वापसी	2.53	3.18
झ	अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क की लागत की वापसी	681.42	–
ञ	आंतरिक परामर्शिता से आय की लागत की वापसी	2.47	–
ट	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी से आय की लागत की वापसी	105.05	–
ठ	अतिथि सत्कार से प्राप्तियों की लागत की वापसी	4.49	–
ड	व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से आय	51.64	–
ढ	कर्मचारी कल्याण (कम्पनी द्वारा पी.एल.आई. को दी गई अधिक राशि की की वापसी)	0.03	–
ण	लेखा में अधिक वेतन की पुन:प्राप्ति	–	0.33
त	बैंक प्रभार की प्रतिपूर्ति	–	0.54
थ	मुद्रण एवं लेखन सामग्री की वापसी	–	0.05
द	यात्राव्यय की वापसी	–	0.03
ध	स्थापना व्यय की वापसी	–	0.69
न	आतिथ्य एवं मनोरंजन की वापसी	–	0.04
(अ)	**जोड़: [(क) से (न) तक]**	**2221.88**	**226.87**
(ब)	**पिछली अवधि की मदों के नामे**		
i	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार से आय की वापसी (लागत का निवल)	250.38	61.84
ii	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज अभिगम शुल्क से आय की वापसी (लागत का निवल)	–	67.67
iii	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज निर्यात से आय की वापसी (लागत का निवल)	1.82	–
iv	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज अतिथि सत्कार से आय की वापसी (लागत का निवल)	0.30	–
v	निर्यात की लागत	1.24	3.22
vi	अंतरिक्ष खण्ड प्रभार की लागत	84.78	112.87
vii	अतिथि सत्कार प्राप्ति की लागत	0.13	–
Viii	आंतरिक विक्रय की लागत	–	9.29
ix	आंतरिक परामर्शिता की लागत से आय	39.40	0.82
x	विदेशी परामर्शिता की लागत से आय	3.93	–
xi	परिसमापन क्षति से आय की वापसी	–	0.50
xii	कार्यालय व्यय	–	0.53
xiii	यात्राव्यय	2.81	0.66
xiv	अप्राप्य सेवा कर	–	2.04
xv	बैंक गारंटी कमीशन	0.40	0.41
xvi	अप्राप्य स्रोत में कर की कटौती	–	0.01
xvii	संचार व्यय	0.01	0.12
xviii	पुनरुद्धार एवं अनुरक्षण-अन्य	3.70	0.28
xix	सेवा कर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.92	–
xx	सदस्यता एवं शुल्क	3.19	–
xxi	विविध (सामान्य) व्यय	0.12	–
xxii	स्थापना व्यय (सुरक्षा प्रभार)	0.06	–
xxiii	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	0.66	–
xxiv	यातायात एवं टैक्सी भाड़ा	6.72	–
xxv	वर्ष के अंत में मुद्रा-विनिमय-परिसंपत्तियाँ एवं देयता	1.29	–
(ब)	**जोड [(i) से (xxv) तक]**	**401.86**	**260.26**
	पिछले वर्ष के लिए निवल जमा [अ - ब]	**1,820.02**	
	चालू वर्ष के लिए निवल नामे [ब - अ]		**33.39**

14. ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के प्रमुख घटकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

		31-मार्च -2014 तक (₹ लाख में)	31-मार्च -2014 तक (₹ लाख में)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
(i)	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,259.88	1,050.52
(ii)	उपदान के लिए प्रावधान	2.33	3.09
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	5.05	6.49
(iv)	संचयित मूल्यह्रास	5.55	–
	जोड़	1,272.81	1,060.10
	आस्थगित कर देयताएँ		
(i)	संचयित मूल्यह्रास	–	1.04
	जोड़	–	1.04
	निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**1,272.81**	**1,059.06**

15. लेखाविधि मानक ए.एस.-26 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(क)	अमूर्त परिसंपत्तियों की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रकृति	क्रय किये गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ग)	उपयोग जीवंत या उपयोग की गई परिशोधन दरें	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाये गये वर्ष से 5 वर्षों तक
(घ)	उपयोग की गई परिशोधन विधियाँ	सरल रेखा विधि
(ड.)	लायी गईर् सकल राशि	₹ 26.25 लाख (पिछले वर्ष ₹ 23.63 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹ 16.20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.75 लाख)
(छ)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित हानियाँ	कुछ नहीं
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में लायी गई राशि का समायोजन	जैसा टिप्पणी-एच के अनुबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।
(झ)	आंतरिक विकास एवं समामेलन द्वारा अलग-अलग दर्शाते हुए योग	₹ 2.62 लाख में क्रय किया गया सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष ₹ 16.29 लाख)। अंतर्विकसित या समामेलन द्वारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है
(ञ)	निवृत्तियाँ एवं निपटारे	कुछ नहीं
(ट)	अवधि के दौरान लाभ-हानि लेखा में चिह्नित हानियाँ (यदि कोई हों)	कुछ नहीं
(ठ)	अवधि के दौरान लाभ-हानि लेखा में प्रतिकूल हानियाँ	कुछ नहीं
(ड)	अवधि के दौरान चिह्नित परिशोधन	₹ 5.45 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5.16 लाख)
(ढ)	अवधि के दौरान लायी गई राशि में अन्य परिवर्तन	कुछ नहीं

16. लेखा संबंधी मानक "ए.एस. 18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ. वी.एस. हेगड़े, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक एवं श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं। वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है सिवाय इसरो के अधीन उनके पारिश्रमिक भुगतान एवं देय लाभ के।

(क) डॉ. वी.एस. हेगड़े, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए (₹ लाख में)	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए (₹ लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	18.58	16.88
टेलीफोन	0.56	0.84
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	0.13	0.21
यात्रारियायत भत्ता	0.40	-
जोड़	**19.67**	**17.93**

(ख) श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए (₹ लाख में)	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए (₹ लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	16.32	13.20
चिकित्सीय भुगतान	0.22	0.28
यात्रारियायत भत्ता	-	0.29
जोड	**16.54**	**13.77**

17. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस. 28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि की कोई घटना नहीं है।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है।

19. पी के अन्तर्गत अन्य प्रतिबद्धताएँ- अन्य नोट संख्या 1 (ii) (बी)-कुल संविदा आपूर्ति एवं सेवा के लिए कुल संविदा मूल्य ₹ 2,52,660.67 लाख के एवज में ₹ 1,60,985.75 लाख की निवल प्रतिबद्धता को कार्यान्वित किया गया है और ग्राहक से इस संविदा के बाबत अग्रिम के रूप में ₹ 1,52,079.84 लाख प्राप्त किए गए हैं।

20. अन्य प्रचालन राजस्व के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन के रूप में ₹ 53.92 लाख की प्राप्ति - यह विदेशी प्राप्ति ग्राहक को भेजे गए हायलास उपग्रह के सफलतापूर्वक संचालन से प्राप्त राशि है।

21. डी.पी.ई. के अन्तर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप की मद में ₹ 325.00 लाख की धन राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है जो विगत 3 वर्ष में देय कर के बाद औसत आय का 2 % है। उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 50.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया है। बाकी की राशि को इसी मद में व्यय करने के लिए विशेष लेखा रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। उक्त रिजर्व धन राशि एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसका नामकरण "एन्ट्रिक्स-सी.एस.आर.एवं दीर्घकालीन निधि" के रूप में किया जाएगा। चूँकि बजटीय आबंटन इस वर्ष पहली बार किया गया है इस कारण यह राशि इस वर्ष खर्च नहीं की जा सकेगी। अतएव, इसे अगले दो वर्षों के भीतर खर्च किया जाएगा।

22. कंपनी ने लगभग सभी ग्राहकों से 31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है परन्तु कुछ ग्राहकों से ही इस संबंध में उत्तर मिले हैं।

23. कम्पनी ने 2003-04 से 2010-11 की अवधि हेतु इन्सैट प्रेषानुकर लीजिंग से संबंधित अं.वि./इसरो-एन्ट्रिक्स लेखा के समायोजन को पूरा कर लिया है तथा अंतरिक्ष विभाग से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

24. बही खाता के अनुसार बकाया आयकर वापसी आई.टी. विभाग के ट्रेसेस के पास उपलब्ध जमा तथा फॉर्म 16ए में प्राप्त टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों के साथ समायोजित किया जा रहा है। कम्पनी ने टी.डी.एस. विवरणों के ई-फाईलिंग के संशोधन हेतु अथवा हमारे लेखाओं में केन्द्रीय सरकार के खाते में उस राशि को जमा कराने के मामले को कटौतीकर्ता (डिडक्टिस) के समक्ष उठाया है जहाँ पर ऐसी कटौती आई.टी.विभाग के ट्रेसेस में जमा के साथ-साथ फॉर्म 16ए में टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित नहीं है।

25. अंकों को लाख रुपयों में निकटवर्ती रूप में पूर्णांकित किया गया तथा चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के अंकों को पुन:वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939एस

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137
स्थान: बेंगलूर
दिनांक: 23.06.2014

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 23.06.2014

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रचालन कार्यरत गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर से पहले निवल लाभ:		29637.25		25394.63
निम्न के लिए समायोजन:				
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय के लिए	134.23		117.84	
उपदान हेतु प्रावधान	–		3.32	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	–		8.03	
संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	469.27		111.05	
विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	(95.99)		–	
स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि	0.16		–	
बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त मूल्यह्रास	–	507.67	(0.43)	239.81
		30144.92		25634.44
इनके लिए समायोजन:				
असामान्य मद	(3.62)		–	
विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	–		(133.13)	
देयता जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं	(43.55)		–	
बैंक से ब्याज की प्राप्ति	(9,747.04)		(9,922.93)	
एम.एफ. से पूँजीगत लाभ	(706.15)		(1,154.65)	
एम.एफ. से लाभांश की प्राप्ति	(782.03)	(11,282.39)	(741.82)	(11,952.53)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		18862.53		13681.91
व्यापार देय में वृद्धि	4667.23		–	
व्यापार देय में कटौती	–		(5,263.59)	
देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि	–		24,760.11	
देयताओं एवं प्रावधान में कटौती	(15.25)		–	
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(3,885.67)		(15,335.58)	
ऋण, अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	(8,857.38)	(8,091.07)	(14,570.58)	(10,409.64)
प्रचालन से जनित नकद		10771.46		3,272.27
भुगतान किया गया आय कर		(64.26)		(749.67)
स्रोत पर काटा गया कर		(11,436.95)		(10,307.90)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		(729.75)		(7,785.30)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(89.84)		(1,633.71)	
स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय	0.30		–	

बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	95.99		133.13	
बैंक से प्राप्त ब्याज	9747.04		9922.93	
एम.एफ. से पूँजीगत लाभ	706.15		1154.65	
एम.एफ.से लाभांश प्राप्तियाँ	782.03		741.82	
निवेश में कमी	4571.25		4308.32	
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज में कमी	128.78		1018.88	
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद		**15941.70**		**15646.02**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
प्रदत्त लाभांश	(3,542.00)		(3,420.00)	
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(601.96)		(554.81)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद		**(4,143.96)**		**(3,974.81)**
नकद व नकद समान सम्पत्ति में निवल वृद्धि		**11067.99**		**3885.91**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समान सम्पत्ति		102789.42		98903.51
वर्ष के अंत में नकद व नकद समान सम्पत्ति		**113857.41**		**102789.42**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137
स्थान: बेंगलूर
दिनांक: 23.06.2014

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 23.06.2014